

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर 2021—कार्तिक 21, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2021

क्र. एफ. 1(ए) 58-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 22 नवम्बर से 07 दिसम्बर 2021 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19, 20 व 21 नवम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (पुलिस सुधार), पु.मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

9235

क्र. एफ. 1(ए) 139-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे, सेनानी, 13वीं बाहिनी, विसबल, ग्वालियर को दिनांक 14 से 26 सितम्बर 2021 तक, तेरह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 26 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ. 1(ए) 152-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस मैनुअल) पु.मु., भोपाल का दिनांक 13 मई से 30 जून 2021 तक, सैतालीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस मैनुअल) पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ. 1(ए) 157-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री संजीव शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (चयन एवं भर्ती), पु.मु., भोपाल को दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2021 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19, 20 अक्टूबर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री संजीव शर्मा, भापुसे, को अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री विजय कटारिया, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (कल्याण), पु.मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (चयन एवं भर्ती), पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजीव शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. 3610-इक्कीस-ब (दो)2021.—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्याक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्याक 39) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से माननीय न्यायमूर्ति श्री शील नागू, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नामांकित करता है।

No. 3610-XXI-B(II)-2021.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994) the Governor of Madhya Pradesh in consultation with the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh nominates Hon'ble Justice Shri Sheel Nagu, Judge, Madhya Pradesh High Court as Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal Services Authority with immediate effect.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2021

फा. क्र. 4005-2019-इक्कीस-ब (एक)2021.—(मेरिट क्रमांक 157), राज्य शासन, सुश्री सरोज डेहरिया पुत्री श्री जगन्नाथ डेहरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 10 अक्टूबर 1983 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-6-2018-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°41'12.808"N से 22°41'28.678" उत्तर अक्षांश तथा 76°8'33.478" से 76°9'1.540" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडेल/कम्पेल को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—इंदौर, तहसील—इंदौर, वनमण्डल—इंदौर, वन परिक्षेत्र—इंदौर

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में धारा 29 के अंतर्गत अधिसूचना की प्रकाशन दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	शिवनी (अ)	36	शिवनी	-	668	26.647		एफ-25- 20-2016 -दस-3- दिनांक 22 अप्रैल 2016.	29 अप्रैल 2016	उत्तर— मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व— मुनारा क्रमांक 04 से 09 तक की कृत्रिम सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 09 से 12 तक की कृत्रिम सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 12 से 18 तक एवं मुनारा क्रमांक 18 से 01 की कृत्रिम सीमा.

योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल) 1 26.647

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-6-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-6-2018-दस-3, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 29th October 2021

No. F-25-6-2018-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 22°41'12.808" to 22°41'28.678" North Latitude and 76°8'33.478" to 76°9'1.540" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Magistrate Khudel/Kampel to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Indore, Tahsil—Indore, Forest Division—Indore, Forest Range—Indore

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette U/S 29 of IFA 1927	Description of Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Shivni (A)	36	Shivni	-	668	26.647		F-25-20-2016-10-3, Dated 22 Apr. 2016	29 Apr. 2016	North.—Munara No. 01 to 04 Artificial boundary line. East.—Munara No. 04 to 09 Artificial boundary line. South.—Munara No. 09 to 12 Artificial boundary line. West.—Munara No. 12 to 18 and Munara No. 18 to 01 Artificial boundary line.
Total (Block Area)						26.647				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-7-2018-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि:—

- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°27'55.740"N से 22°28'3.143" उत्तर अक्षांश तथा 75°44'41.541" से 75°44'49.976" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.
- (ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर, महु को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—इंदौर, तहसील—डॉ. अम्बेडकर नगर, महु, वनमण्डल—इंदौर, वन परिक्षेत्र—महु

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में धारा 29 के अंतर्गत अधिसूचना की प्रकाशन दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	बडगोंदा (ब)	18	बडगोंदा	-	703	1.230		एफ-25- 33-2016	17 अक्टूबर 2016	उत्तर— मुनारा क्रमांक 01 से 03 की कृत्रिम सीमा. पूर्व— मुनारा क्रमांक 03 से 04 की कृत्रिम सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 04 से 05 की कृत्रिम सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 05 से 01 की कृत्रिम सीमा.
					704	2.140		-दस-3- दिनांक 10 जून 2016.		
										योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल) 2 3.370

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-7-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-7-2018-दस-3, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 29th October 2021

No. F-25-7-2018-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land mentioned in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 22°27'55.740" to 22°28'3.143" North Latitude and 75°44'41.541" to 75°44'49.976" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Magistrate Dr. Ambedkar Nagar, Mhow to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Indore, Tahsil—Dr. Ambedkar Nagar, Mhow, Forest Division—Indore, Forest Range—Mhow

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Noti- fication Number and Date	Date of Publication of Gazette U/S 29 of IFA 1927	Description of Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bargonda (B)	18	Bargonda	-	703	1.230		F-25- 33-2016 10-3, Dated 10 June 2016	17 Oct. 2016	North. —Munara No. 01 to 03 Artificial boundary line. East. —Munara No. 03 to 04 Artificial boundary line. South. —Munara No. 04 to 05 Artificial boundary line. West. —Munara No. 05 to 01 Artificial boundary line.
Total (Block Area)					2	3.370				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-5-2018-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°31'37.823"N से 22°31'56.905" उत्तर अक्षांश तथा 75°37'41.593" से 75°37'53.087" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर, महु को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—इंदौर, तहसील—महु, वनमण्डल—इंदौर, वन परिक्षेत्र—मानपुर

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में धारा 29 के अंतर्गत अधिसूचना की प्रकाशन दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	कमदपुर	34	कमदपुर	-	188/1/ 1क	13.500		एफ-25- 20-2016 -दस-3- दिनांक 22 अप्रैल 2016.	29 अप्रैल 2016	उत्तर— मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व— मुनारा क्रमांक 02 से 05 तक की कृत्रिम सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 05 से 08 तक की कृत्रिम सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 08 से 09 तक एवं 09 से 01 की कृत्रिम सीमा.

योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल) 1 13.500

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-5-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-5-2018-दस-3, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 29th October 2021

No. F-25-5-2018-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land mentioned in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 22°31'37.823" to 22°31'56.905" North Latitude and 75°37'41.593" to 75°37'53.087" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Magistrate Dr. Ambedkar Nagar, Mhow to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Indore, Tahsil—Mhow, Forest Division—Indore, Forest Range—Manpur

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette U/S 29 of IFA 1927	Description of Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kamadpur	34	Kamadpur	188/1/1k	13.500			F-25-20-2016 10-3, Dated 22 Apr. 2016	29 Apr. 2016	North.—Munara No. 01 to 02 Artificial boundary line. East.—Munara No. 02 to 05 Artificial boundary line. South.—Munara No. 05 to 08 Artificial boundary line. West.—Munara No. 08 to 09 and Munara No. 09 to 01 Artificial boundary line.
				Total (Block Area)		13.500				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-46-2017-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°08'15" से 22°08'28" उत्तर अक्षांश तथा 75°28'38" से 75°28'58" पूर्व देशांश के बीच स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—खरगोन, तहसील—कसरावद, वनमण्डल—खरगोन, वन परिक्षेत्र—कसरावद

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	(10)	सीमाओं का विवरण	
				पुराना	नया							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	पानवा	03	पानवा	114	114/1 114/2	11.000 1.747	ना.का.च.	एफ-25- 113-2016 -दस-3- दिनांक 15 सितम्बर 2016.	30 सितम्बर 2016		उत्तर— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 10 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.	
योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल)							12.747					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-46-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-46-2017-दस-3, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 29th October 2021

No. F-25-46-2017-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 22°08'15" to 22°08'28" North Latitude and 75°28'38" to 75°28'58" East Longitude.

(B) Appoints Sub-Divisional Officer (Revenue), Kasrawad to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Khargone, Tahsil—Kasrawad, Forest Division—Khargone, Forest Range—Kasrawad

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries	
				Old	New						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Panwa	03	Panwa	114	114/1 114/2	11.00 1.747	ना.का.च.	F-25- 113-2016 X-3, Dated 15 Sep. 2016	30 Sep. 2016	North. —Artificial forest boundary from pillar No. 01 to 04 of Protected forest block. East. —Artificial forest boundary from pillar No. 04 to 05 of Protected forest block. South. —Artificial forest boundary from pillar No. 05 to 08 of Protected forest block. West. —Artificial forest boundary from pillar No. 08 to 10 & 01 of Protected forest block.	
Total (Block Area)						12.747					

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-36-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N21°49'06" से N21°49'23" उत्तर अक्षांश तथा E79°35'46.1" से E79°36'7.8" पूर्व देशांश के बीच स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग, सिवनी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—सिवनी, तहसील—कुरई, वनमण्डल—दक्षिण सिवनी वनमंडल, वन परिक्षेत्र—कुरई

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का नं.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि हो तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	करजमारा रैयत (कुरई)	16	करजमारा रैयत (कुरई)	2/3	2/4	6.40	पहाड़ चट्टान	एफ-25- 37-2017 -दस-3 दिनांक 01 मार्च 2018.	16 मार्च 2018	उत्तर— आरक्षित वनकक्ष RF 239 के मुनारा क्रमांक 6/1 से 4/2 तक की वन सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4/2 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 6/1 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं प्राकृतिक नाला की सीमा.	
योग . .						18.91					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-36-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-36-2019-दस-3, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 29th October 2021

No. F-25-36-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby :—

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and the Forest land Shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N21°49'06" to N21°49'23" North Latitude and E79°35'46.1" to E79°36'7.8" East Longitude.

(B) Appoints Sub-Divisional Officer (Revenue), Sub-Division Seoni to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Seoni, Tahsil—Kurai, Forest Division—South Seoni, Forest Range—Kurai

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village PF Block	Khasra No.		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Area (Hec.)	Forest Block Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Karajmara raiyat (Kurai)	16	Karajmara raiyat (Kurai)	2/3	2/4	6.40	Pahar Chattan	F-25-37-2017 X-3, Dated 01 Mar. 2018	16 Apr. 2018	North.—boundary of Reserve Forest Compartment No. RF 239 From 6/1 to 4/2. East.—Artificial forest boundary from pillar No. 4/2 to 5 of Protected forest block. South.—Artificial forest boundary from pillar No. 5 to 7 of Protected forest block. West.—Artificial forest boundary from pillar No. 07 to 6/1 of Protected forest block.
Total . .				03		18.91				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-88-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 23°05'48.72" से 23°06'35.34" उत्तर अक्षांश तथा 76°26'12.78" से 76°26'23.28" पूर्व देशांश मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—देवास, तहसील—सोनकच्छ, वनमण्डल—देवास, वन परिक्षेत्र—देवास

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	बावडिया	15	बावडिया/ बावडिया	-	35	6.500	-	एफ-25- 09 92-2016 -दस-3 दिनांक 26 अगस्त 2016.	09 सितम्बर 2016	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक कृत्रिम सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 17 तक कृत्रिम सीमा. दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से 18 तक कृत्रिम सीमा. पश्चिम— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 01 तक कृत्रिम सीमा.
योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल)						20.000				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-88-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-88-2017-दस-3, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 29th October 2021

No. F-25-88-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that is has been decided to constitute the waste land and Forest land Shown in Schedule below as Reserved Forest.This Forest Block lies between 23°05'48.72" to 23°06'35.34" North Latitude and 76°26'12.78" to 76°26'23.28" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Magistrate (Revenue), Sonkatchh, Dist. Dewas (M.P.) to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Dewas, Tahsil—Sonkatchh, Forest Division—Dewas, Forest Range—Dewas

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries	
				Old	New						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Bawadiya	15	Bawadiya/ Bawadiya	-	35 380 389 390 399 401 405 412 413	6.500 1.150 1.00 3.150 3.000 0.400 1.670 0.130 3.000	&	F-25- 92-2016 X-3, Dated 26 th Aug. 2016	9 th Sep. 2016	North. —Artificial forest boundary from pillar No. 01 to 02 of Protected forest block. East. —Artificial forest boundary from pillar No. 02 to 17 of Protected forest block. South. —Artificial forest boundary from pillar No. 17 to 18 of Protected forest block. West. —Artificial forest boundary from pillar No. 18 to 01 of Protected forest block.	
Total (Block Area)						20.000					

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-14-2017-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 24°16'38.8" से 24°16'46.00" उत्तर अक्षांश तथा 74°47'02.6" से 74°47'11.3" पूर्व देशांश मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नीमच को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—नीमच, तहसील—जीरन, वनमण्डल—नीमच, वन परिक्षेत्र—नीमच

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण	
				पुराना	नया						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	गुड़ला	9	गुड़ला	137/36	233/2	4.537	-	एफ-25- 3-2016 -दस-3- दिनांक 24-फरवरी 2016.	04 मार्च 2016	उत्तर— मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व— मुनारा क्रमांक 03 से 05 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 05 से 07 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 07 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा.	
योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल)						4.537					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-14-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-14-2017-दस-3, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 29th October 2021

No. F-25-14-2017-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 24°16'38.8" to 24°16'46.00" North Latitude, and 74°47'02.6" to 74°47'11.3" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer (Revenue), Neemuch to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.—

SCHEDULE

District—Neemuch, Tahsil—Jeeran, Forest Division—Neemuch, Forest Range—Neemuch

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Gudla	9	Gudla	137/36	233/2	4.537	-	F-25-3-2016 X-3, Dated 24 Feb. 2016	4 Mar. 2016	North.—Artificial forest boundary from pillar Number 01 to 03. East.—Artificial forest boundary from pillar Number 03 to 05. South.—Artificial forest boundary from pillar Number 05 to 07. West.—Artificial forest boundary from pillar Number 07 to 01.
Total (Block Area)						4.537				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-1-2018-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°27'56.003"N से 22°28'4.095" उत्तर अक्षांश तथा 75°45'5.464" से 75°45'10.332" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर, महु को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—इन्दौर, तहसील—डॉ. अम्बेडकर नगर (महु), वनमण्डल—इन्दौर, वन परिक्षेत्र—महु

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में धारा 29 के अन्तर्गत अधिसूचना की प्रकाशन दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	बडगोंदा (अ)	18	बडगोंदा	-	365	1.550		एफ-25- 33-2016 -दस-3 दिनांक 10 जून 2016.	17 जून 2016	उत्तर— मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व— मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 04 से 09 तक एवं मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.
योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल)				1	1.550					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-1-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-1-2018-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-1-2018-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land mentioned in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 22°27'56.003" to 22°28'4.095" North Latitude and 75°45'5.464" to 75°45'10.332" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Magistrate, Dr. Ambedkar Nagar, Mhow to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Indore, Tahsil—Dr. Ambedkar Nagar (Mhow), Forest Division—Indore, Forest Range—Mhow

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette U/S 29 of IFA 1927	Description of Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bargonda (A)	18	Bargonda	-	365	1.550	-	F-25-33-2016 X-3, Dated 10 June 2016	17 Oct. 2016	North.—Munara No. 01 to 02 Artificial boundary line. East.—Munara No. 02 to 03 Artificial boundary line. South.—Munara No. 03 to 04 Artificial boundary line. West.—Munara No. 04 to 09 and Munara No. 04 to 01 Artificial boundary line.
Total (Block Area)				1	1.550					

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-2-2018-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°31'35.252"N से 22°31'46.067" उत्तर अक्षांश तथा 75°52'50.781" से 75°53'7.495" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर, महु को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—इन्दौर, तहसील—महू, वनमण्डल—इन्दौर, वन परिक्षेत्र—चोरल

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में धारा 29 के अन्तर्गत अधिसूचना की प्रकाशन दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	मेमदी	26	मेमदी	-	721/1 721/2/1	1.122 2.388		एफ-25- 20-2016 -दस-3 दिनांक 22 अप्रैल 2016.	29 अप्रैल 2016	उत्तर— मुनारा क्रमांक 01 से 19 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व— मुनारा क्रमांक 19 से 32 तक की कृत्रिम सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 32 से 36 तक की कृत्रिम सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 36 से 40 एवं मुनारा क्रमांक 40 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.
योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल)						3.510				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-2-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-2-2018-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-2-2018-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 22°31'35.252" to 22°31'46.067" North Latitude and 75°52'50.781" to 75°53'7.495" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Magistrate, Dr. Ambedkar Nagar, Mhow to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Indore, Tahsil—Mhow, Forest Division—Indore, Forest Range—Choral

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette U/S 29 of IFA 1927	Description of Boundaries	
				Old	New						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Memdi	26	Memdi	-	721/1 721/2/1	1.122 2.388	-	F-25- 20-2016 X-3, Dated 22 Apr. 2016	29 Apr. 2016	North. —Munara No. 01 to 19 Artificial boundary line. East. —Munara No. 19 to 32 Artificial boundary line. South. —Munara No. 32 to 36 Artificial boundary line. West. —Munara No. 36 to 40 and Munara No. 40 to 01 Artificial boundary line.	
Total (Block Area)						3.510					

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-3-2018-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°30'7.045"N से 22°30'19.005" उत्तर अक्षांश तथा 75°37'26.996" से 75°38'1.330" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर, महु को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—इन्दौर, तहसील—महु, वनमण्डल—इन्दौर, वन परिक्षेत्र—मानपुर

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में धारा 29 के अन्तर्गत अधिसूचना की प्रकाशन दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	खुदालपुरा	33	खुदालपुरा	-	25 29	1.497 13.800		एफ-25- 20-2016 -दस-3- दिनांक 22 अप्रैल 2016.	29 अप्रैल 2016	उत्तर— मुनारा क्रमांक 01 से 08 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व— मुनारा क्रमांक 08 से 13 तक की कृत्रिम सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 13 से 20 तक की कृत्रिम सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 20 से 22 एवं मुनारा क्रमांक 22 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.
योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल)						15.297				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-3-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-3-2018-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-23-2-2018-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land mentioned in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 22°30'7.045" to 22°30'19.005" North Latitude and 75°37'26.996" to 75°38'1.330" East Longitude.

(B) Appoints Sub-Divisional Magistrate, Dr. Ambedkar Nagar, Mhow to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Indore, Tahsil—Mhow, Forest Division—Indore, Forest Range—Manpur

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette U/S 29 of IFA 1927	Description of Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Khudalपुरा	33	Khudalपुरा	-	25 29	1.497 13.800	-	F-25- 20-2016 X-3, Dated 22 Apr. 2016	29 Apr. 2016	North.—Munara No. 01 to 08 Artificial boundary line. East.—Munara No. 08 to 13 Artificial boundary line. South.—Munara No. 13 to 20 Artificial boundary line. West.—Munara No. 20 to 22 and Munara No. 22 to 01 Artificial boundary line.

Total (Block Area) : 2 15.297

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-4-2018-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°31'54.767"N से 22°32'16.658" उत्तर अक्षांश तथा 75°37'46.073" से 75°38'2.696" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर, महु को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—इन्दौर, तहसील—महु, वनमण्डल—इन्दौर, वन परिक्षेत्र—मानपुर

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में धारा 29 के अन्तर्गत अधिसूचना की प्रकाशन दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	सीतापाट	17	सीतापाट	-	217/1/ 1/1ग पेकी	15.257		एफ-25- 20-2016 -दस-3- दिनांक 22 अप्रैल 2016.	29 अप्रैल 2016	उत्तर— मुनारा क्रमांक 01 से 03 तथा 03 से 10 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व— मुनारा क्रमांक 10 से 15 तक की कृत्रिम सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 15 से 16 तक की कृत्रिम सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 16 से 22 एवं मुनारा क्रमांक 22 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.
योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल)				3	21.046					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-4-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-4-2018-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-4-2018-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land mentioned in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 22°31'54.767" to 22°32'16.658" North Latitude and 75°37'46.073" to 75°38'2.696" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Magistrate, Dr. Ambedkar Nagar, Mhow to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Indore, Tahsil—Mhow, Forest Division—Indore, Forest Range—Manpur

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Noti- fication Number and Date	Date of Publication of Gazette U/S 29 of IFA 1927	Description of Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sitapat	17	Sitapat	-	217/1/1/ 1g pe ki	15.257	-	F-25- 20-2016 X-3, Dated 22 Apr. 2016	29 Apr. 2016	North.—Munara No. 01 to 03 and 03 to 10 Artificial boundary line. East.—Munara No. 10 to 15 Artificial boundary line. South.—Munara No. 15 to 16 Artificial boundary line. West.—Munara No. 16 to 22 and Munara No. 22 to 01 Artificial boundary line.
Total (Block Area)					3	21.046				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-35-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N-22°07'59.98" से N-22°08'14.808" उत्तर अक्षांश तथा E 79°34'7.32" से E 79°34'36.648" पूर्व देशांश के बीच स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग, सिवनी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—सिवनी, तहसील—सिवनी, वनमण्डल—दक्षिण सिवनी वनमंडल, वन परिक्षेत्र—बंडोल

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	कोहका (बंडोल)	45/58/ 106	कोहका (बंडोल)		193 2/2 18/2	10.04 10.00 3.97	पहाड चट्टान	एफ-25- 36-2017 -दस-3- दिनांक 09 फरवरी 2018.	16 फरवरी	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल)					03	24.01				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-35-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-35-2019-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-35-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule as Reserved Forest. This Forest Block lies between N 22°07'59.98" to N 22°08'14.808" North Latitude and E 79°34'7.32" to E-79°34'36.648" East Longitude.

(B) Appoints Sub-Divisional Officer (Revenue), Sub-Division Seoni to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Seoni, Tahsil—Seoni, Forest Division—South Seoni Forest Division, Forest Range—Bandol

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	KhasraNo.		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Noti- fication Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kohka (Bandol)	45/58	Kohka (Bandol)		193 2/2 18/2	10.04 10.00 3.97	Pahar Chattan	F-25- 36-2017 X-3, Dated 09 Feb. 2018.	16 Feb. 2018	North. —Artificial forest boundary from pillar No. 01 to 14 of Protected forest block. East. —Artificial forest boundary from pillar No. 14 to 15 of Protected forest block. South. —Artificial forest boundary from pillar No. 15 to 24 of Protected forest block. West. —Artificial forest boundary from pillar No. 24 to 01 of Protected forest block.
Total (Block Area)				03	24.01					

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-49-2017-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 21°47'3.930" से 21°47'54.100" उत्तर अक्षांश तथा 75°21'37.370" से 75°22'26.630" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—खरगोन, तहसील—सेगांव, वनमण्डल—खरगोन, वन परिक्षेत्र—खरगोन

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	पनाली	26	पनाली	111/1	111/1 पैकी	9.000	नि.च.	एफ-25- 118-2016	30 सितम्बर 2016	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 52 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 52 से 60 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 60 से 72 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				111/2	111/2	4.047		-दस-3-		
				111/3	111/3	6.945		दिनांक		
				141/1	141/1 पैकी	30.000		15 सितम्बर		
				141/407	141/407	1.214		2016.		
				योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल)		51.206				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-49-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-49-2017-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-49-2017-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 21°47'3.930" to 21°47'54.100" North Latitude and 75°21'37.730" to 75°22'26.630" East Longitude.

(B) Appoints Sub-Divisional Officer (Revenue), Khargone to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Khargone, Tehsil—Segoan, Forest Division—Khargone, Forest Range—Khargone

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Panali	26	Panali	111/1	111/1 Paki	9.000	नि.च.	F-25- 118-2016	30-09- 2016	North. —Artificial forest boundary from pillar No. 01 to 13 of Protected forest block.
				111/2	111/2	4.047		X-3, Dated		
				111/3	111/3	6.945				
				141/1	141/1 Paki	30.000		15-09- 2016		East. —Artificial forest boundary from pillar No. 13 to 52 of Protected forest block.
				141/407	141/407	1.214				South. —Artificial forest boundary from pillar No. 52 to 60 of Protected forest block.
										West. —Artificial forest boundary from pillar No. 60 to 72 & 01 of Protected forest block.
				Total (Block Area)		51.206				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-53-2017-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, घोषित करता है कि:—

(क) नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N 22°9'15" से N 22°9'29" उत्तर अक्षांश तथा E76°11'05" से E76°11'10" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुनासा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—खंडवा, तहसील—पुनासा, वनमण्डल—खंडवा, वन परिक्षेत्र—पुनासा (सामान्य)

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हत्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	खसरा क्रमांक नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	मसलाय (ब)	9	राजस्व ग्राम मसलाय/ संरक्षित वनखंड मसलाय (ब)	-	338	4.000	पहाड़ चट्टान	क्रमांक एफ-25-131-2016-दस-3-दिनांक 13 दिसम्बर 2016.	23-12-2016	उत्तर— मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व— मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण— मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम— मुनारा क्रमांक 04 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग . .						4.000				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-53-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-53-2017-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-53-2017-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land the Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N 22°09'15" to N 22°09'29" North Latitude and N 76°11'05" to E76°11'10" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer (Revenue), Punasa to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Khandwa, Tehsil—Khandwa (G), Forest Division—Punasa, Forest Range—Punasa (G)

S. No.	RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest land its Noti- fication Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Forest Block-Masalary (B)	9	Revenue Village masalary/Masalary (B)	-	338	4.00	Pahad Chhattan	No. F-25-131/2016/X-3, Dated 13-12-2016.	23-12-2016	North.—Artificial forest boundary from pillar Number 01 to 02. East.—Artificial forest boundary from pillar Number 02 to 03. South.—Artificial forest boundary from pillar Number 03 to 04. West.—Artificial forest boundary from pillar Number 04 to 01.	
Total . .						4.00					

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-55-2017-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, घोषित करता है कि:—

(क) नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N 22°9'21" से N 22°9'23" उत्तर अक्षांश तथा E76°10'14" से E76°10'36" पूर्व देशांश के बीच स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुनासा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—खंडवा, तहसील—पुनासा, वनमण्डल—खंडवा, वन परिक्षेत्र—पुनासा (सामान्य)

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	मसलाय (अ)	8	राजस्व ग्राम मसलाय/ संरक्षित वनखंड मसलाय (अ)	-	91	2.48	पहाड़ चट्टान	क्रमांक एफ-25-129-2016-दस-3-दिनांक 13-12-2016.	23-12-2016	उत्तर— मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व— मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 03 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 06 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग						2.48				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-55-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-55-2017-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-55-2017-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N 22°9'21" to N 22°9'23" North Latitude and E 76°10'14" to E 76°10'36" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer (Revenue), Punasa to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Khandwa, Tehsil—Khandwa (G), Forest Division—Punasa, Forest Range—Punasa (G)

S. No.	RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest land its Noti- fication Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries	
				Old	New						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Forest Block-Masalary (A)	8	Revenue Village masalary/Masalary	-	91	2.48	Pahad Chhattan	No. F-25-129/2016/X-3,	23-12-2016	Dated	North.—Artificial forest boundary from pillar Number 01 to 02. East.—Artificial forest boundary from pillar Number 02 to 03. South.—Artificial forest boundary from pillar Number 03 to 06. West.—Artificial forest boundary from pillar Number 06 to 01.
Total . .						2.48					

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-56-2017-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 21°53'43.659" से 21°53'52.217" उत्तर अक्षांश तथा E75°25'16.603" से E75°25'34.742" पूर्व देशांश मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—खरगोन, तहसील—खरगोन, वनमण्डल—खरगोन, वन परिक्षेत्र—खरगोन

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	डेहरी	06	डेहरी	285/2	285/2 पैकी	9.100	नि. च.	एफ-5- 11-98 -दस-3- दिनांक 22-09- 2003.	03-10- 03	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 19 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग (वनखण्ड का क्षेत्रफल) 9.100

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-56-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-56-2017-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-56-2017-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 21°53'43.659" to 21°53'52.217" North Latitude and 75°25'16.603" to 75°25'34.742" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer (Revenue), Khargone to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Khargone, Tahsil—Khargone, Forest Division—Khargone, Forest Range—Khargone

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Noti- fication Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dehri	06	Dehri	285/2	285/2 Peki	9.100	नि.च.	F-5-11-98/X-3, Date 22-09-2003.	03-10-2003.	<p>North.—Artificial forest boundary from pillar No. 01 to 07 of Protected forest block.</p> <p>East.—Artificial forest boundary from pillar No. 07 to 12 of Protected forest block.</p> <p>South.—Artificial forest boundary from pillar No. 12 to 19 of Protected forest block.</p> <p>West.—Artificial forest boundary from pillar No. 19 to 01 of Protected forest block.</p>
Total . .						9.100				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-84-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 23°01'57.2" से 23°02'41.3" उत्तर अक्षांश तथा 76°11'35.7" से 76°12'06.3" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनकच्छ जिला देवास (म. प्र.) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

अनुसूची

जिला—देवास, तहसील—टोकखुर्द, वनमण्डल—देवास, वन परिक्षेत्र—देवास

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	नांदेल 'डी'	21	नांदेल/ नांदेल 'डी'	-	1781	41.000	-	एफ-25- 93-2016 -दस-3- दिनांक 26 अगस्त 2016.	09 सितम्बर 2016.	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 15 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 04 तक की कृत्रिम सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 05 तक की कृत्रिम सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 14 तक की कृत्रिम सीमा.

योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल) 41.000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-84-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-84-2021-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-84-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 23°01'57.2" to 23°02'41.3" North Latitude and 76°11'35.7" to 76°12'06.3" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Magistrate (Revenue), Sonkatchh Dist. Dewas to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Dewas, Tahsil—Tonkhurd, Forest Division—Dewas, Forest Range—Dewas

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	*Old	New	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nandel D	21	Nandel/ Nandel D	-	1781	41.000	&	F-25-93-2016/X-3, Dated 26th August 2016.	09th September 2016	North. —Artificial forest boundary from pillar No. 14 to 15 of Protected forest block. East. —Artificial forest boundary from pillar No. 15 to 04 of Protected forest block. South. —Artificial forest boundary from pillar No. 04 to 05 of Protected forest block. West. —Artificial forest boundary from pillar No. 05 to 14 of Protected forest block.
Total . . (Block Area)						41.000				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-85-2021-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 24°25'51.0" से 24°26'20.0" उत्तर अक्षांश तथा 75°09'51.5" से 75°10'33.5" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनासा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—नीमच, तहसील—मनासा, वनमण्डल—नीमच, वन परिक्षेत्र—मनासा

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	भोपाली	24	भोपाली/ संरक्षित वनखण्ड भोपाली	220	287, 290	47.267	-	एफ-5- 46-92 -दस-3 दिनांक 27 नवम्बर 2002.	06-12- 2002	उत्तर— नई सीमांकन रेखा के नया मुनारा क्र. 01 से 22 तक. राजस्व भूमि खसरा नंबर 149, 150, 151, 214, 217, 219, 218, 212 तथा ग्राम कोठड़ा से ग्राम भोपाली का रास्ता. पूर्व— नई सीमांकन रेखा के नया मुनारा क्र. 22 से 50 तक. राजस्व भूमि खसरा नंबर 177, 176, 175, 174, 172, 171 ग्राम कोठड़ा का मौजा एवं दुर्गपुरा की सीमा का विभाजन का राजस्व विभाग का पत्थर एवं दुर्गपुरा का मौजा. दक्षिण—नई सीमांकन रेखा के मुनारा क्र. 50 से 63 तक. राजस्व भूमि खसरा नंबर 221 एवं ग्राम दुर्गपुरा की बसाहट तथा ग्राम बर्डिया से दुर्गपुरा का रास्ता. पश्चिम—नई सीमांकन रेखा के मुनारा क्र. 63 से 01 तक. ग्राम बर्डिया मौजा की भूमि.

योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल) 47.267

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-85-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-85-2021-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-85-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 24°25'51.0" to 24°26'20.0" North Latitude and 75°09'51.5" to 75°10'33.5" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer (Revenue), Manasa to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Neemuch, Tahsil—Manasa, Forest Division—Neemuch, Forest Range—Manasa

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Publication Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	Bhopali	24	Bhopali/ PF Block Bhopali	220	287, 290	47.267	-	F-5-46-92-X-3, Date 27-11-2002.	06-12-2002	<p>North.—New Demarcation Line New Pillar No. 01 to 22 Revenue land Survey No. 149, 150, 151. 214. 217. 219. 218, 212 and Road From Village Kothra to Village Bhopali.</p> <p>East.—New Demarcation Line New Pillar No. 22 to 50 Revenue land Survey No. 177, 176, 175, 174, 172, 171, Mauja of Village Kothra And Village Durgpura's Revenue Department Stone for partition of Boundaries and Mauja of Village Durgpura.</p> <p>South.—New Demarcation Line New Pillar No. 50 to 63 Revenue land Survey No. 221 and habitation of village Durgpura. And Road of Village Bardia to village Durgpura.</p>

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

West.—New Demarcation
Line New Pillar No.
63 to 01. Land of
Mauja Village
Bardia.

Total . . (Block Area) 47.267

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-91-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 23°03'00.96" से 23°03'05.03" उत्तर अक्षांश तथा 76°12'12.75" से 76°12'40.18" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनकच्छ जिला देवास (म. प्र.) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—देवास, तहसील—टोकखुर्द, वनमण्डल—देवास, वन परिक्षेत्र—देवास

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक *पुराना नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	संवरसी	31	संवरसी/ संवरसी	-	13	2.250	-	एफ-25- 93-2016 -दस-3 दिनांक 26 अगस्त 2016.	09 सितम्बर 2016.	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 05 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 06 की कृत्रिम सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 12 तक कृत्रिम सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 01 तक कृत्रिम सीमा.

योग . . (वनखण्ड का क्षेत्रफल) 2.250

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-91-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-91-2021-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-91-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that is has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest.This Forest Block lies between 23°03'00.96" to 23°03'05.03" North Latitude and 76°12'12.75" to 76°12'40.18" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Magistrate (Revenue), Sonkatchh, Dist. Dewas (M. P.) to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Dewas, Tehsil—Tonkhurd, Forest Division—Dewas, Forest Range—Dewas

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				*Old	New					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sanwarsi	31	Sanwarsi	-	13	2.250	&	F-25-93-2016/X-3, Dated 26th August 2016.	09th September 2016	North—Artificial forest boundary from Pillar No. 01 to 05 of Protected forest block. East—Artificial forest boundary from Pillar No. 05 to 06 of Protected forest block. South—Artificial forest boundary from pillar No. 06 to 12 of Protected forest block. West—Artificial forest boundary from Pillar No. 12 to 01 of Protected forest block.

Total (Block Area) 2.250

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-96-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, यह घोषित करता है कि:—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 23°03'02.4" से 23°03'38.4" उत्तर अक्षांश तथा 76°10'45.4" से 76°11'07.7" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनकच्छ जिला देवास (म. प्र.) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:—

अनुसूची

जिला—देवास, तहसील—टोकखुर्द, वनमण्डल—देवास, वन परिक्षेत्र—देवास

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक *पुराना	नया	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	नांदेल 'बी'	21	नांदेल/ नांदेल 'बी'	-	1297	47.140	-	एफ-25- 93-2016 -दस-3 दिनांक 26 अगस्त 2016.	09 सितम्बर 2016.	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 13 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 24 तक की कृत्रिम सीमा. दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 01 तक की कृत्रिम सीमा. पश्चिम— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 11 तक की कृत्रिम सीमा.
योग (वनखण्ड का क्षेत्रफल)						47.140				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-25-96-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-96-2021-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F-25-96-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby :—

- (A) Declares that is has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 23°03'02.4" to 23°03'38.04" North Latitude and 76°10'45.4" to 76°11'07.7" East Longitude.
- (B) Appoints Sub-Divisional Magistrate (Revenue), Sonkatchh Dist. Dewas to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:—

SCHEDULE

District—Dewas, Tehsil—Tonkhurd, Forest Division—Dewas, Forest Range—Dewas

S. No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries	
				*Old	New						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Nandel B	31	Nandel/ Nandel B	-	1927	47.140	-	F-25-93-2016/X-3, Dated 26th August 2016.	09 th September 2016	North —Artificial forest boundary from Pillar No. 11 to 13 of Protected forest block. East —Artificial forest boundary from Pillar No. 13 to 24 of Protected forest block. South —Artificial forest boundary from pillar No. 24 to 01 of Protected forest block. West —Artificial forest boundary from Pillar No. 01 to 11 of Protected forest block.	
Total (Block Area)						47.140					

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-15-18-2021-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 27 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्र 888-1879-40-295-ए-एक्स-व्ही., दिनांक 29 अगस्त 1921 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी:—

अनुसूची-1

जिला—मण्डला, तहसील—बिछिया, वनमण्डल—बफ़र जोन वनमण्डल, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला, वनपरिक्षेत्र—सिझौरा

अ. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हे. में.) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा.	आरक्षित वन नहीं रहने का कारण	आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मांझीपुर	बी 8 तेन्दुआ	पुराना-1444 नया-32	253.333	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/ F. No. 8-34/2017 FC, दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम माटीगहन की बसाहट स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण.	उत्तर—ग्राम खलौड़ी की दक्षिणी सीमा मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 8 तक, नाला से मुनारा क्रमांक 9 तक. पूर्व—कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 9 से मुनारा क्रमांक 28 तक. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 28 से 31 तक ग्राम जैलवारा की सीमा तथा मुनारा क्रमांक 31 से 32 तक कृत्रिम सीमा. पश्चिम—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 32 की सीमा मुनारा क्रमांक 32 से मुनारा क्रमांक 1 तक.

अनुसूची-2

जिला—मण्डला, तहसील—बिछिया, वनमण्डल—बफ़र जोन वनमण्डल, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला, वनपरिक्षेत्र—मोतीनाला

अ. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हे. में.) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा.	आरक्षित वन नहीं रहने का कारण	आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मांझीपुर	एम. 9 बैलालुटरा	पुराना-1395, 1398 नया-188, 176	105.627	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र	उत्तर—नवीन कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 1 से प्रारंभ होकर मुनारा क्रमांक 14 तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					क्रमांक/F. No. 8-34/2017 FC, दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम पीपरवाड़ा की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.	<p>पूर्व—नवीन कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 38 तक.</p> <p>दक्षिण—मुनारा क्रमांक 38 से कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 48 तक.</p> <p>पश्चिम—कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 48 से प्रारंभ होकर मुनारा क्रमांक 1 तक.</p>
2	मालूमझोला एम 11 दक्षिण फेन	पुराना-1377, 1378, 1402 नया-144, 145, 147.	103.884	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/2017 FC, दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम चिलपुरा की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.	<p>उत्तर—नवीन कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 11 तक.</p> <p>पूर्व—नवीन कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 14 तक.</p> <p>दक्षिण—कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 23 तक, मुनारा क्रमांक 23 से मुनारा क्रमांक 24 तक प्राकृतिक नाला.</p> <p>पश्चिम—नवीन कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 24 से मुनारा क्रमांक 1 तक.</p>	
3	मुरकुटा एम 11 दक्षिण फेन	पुराना-1408, 1410, 1411 नया-152, 153, 154.	183.039	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/2017 FC, दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम चकरवाह एवं गायधार की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.	<p>उत्तर—फेन नदी स्थित मुनारा क्रमांक 1 से प्रारंभ होकर ग्राम लालपुर की दक्षिणीय सीमा स्थित मुनारा क्रमांक 16 तक.</p> <p>पूर्व—मुनारा क्रमांक 16 से कक्ष क्रमांक 153A (RF) की उत्तर-पूर्वी सीमा मुनारा क्रमांक 23 तक.</p> <p>दक्षिण—मुनारा क्रमांक 23 से 32 तक वन कक्ष क्रमांक 153A (RF) की उत्तर-पश्चिम सीमा तत्पश्चात् मुनारा क्रमांक 32 से मुनारा क्रमांक 36 तक वन कक्ष क्रमांक 152A (RF) की पश्चिम सीमा.</p> <p>पश्चिम—मुनारा क्रमांक 36 से मुनारा क्रमांक 40 तक 0.167 की सीमा तत्पश्चात् प्राकृतिक सीमा भाई-बहन नाला फेन नदी तक एवं फेन नदी मुनारा क्रमांक 1 तक.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	किकरा	एम 11 दक्षिण फेन.	पुराना-1415 नया-136	158.46	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/2017 FC, दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम देवरीदादर एवं कौआड़र की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.	उत्तर—मुनारा क्रमांक 1 फेन नदी से मुनारा क्रमांक 3 तक, मोतीनाला-नरहरगंज मार्ग मुनारा क्रमांक 3 से बारीझोरी नाला स्थित मुनारा क्रमांक 7 तक कक्ष क्रमांक 136 की सीमा. पूर्व—बारीझोरी नाला स्थित मुनारा क्रमांक 7 से फेन नदी स्थित मुनारा क्रमांक 16 तक. दक्षिण-पश्चिम—फेन नदी मुनारा क्रमांक 16 से मुनारा क्रमांक 1 तक.

अनुसूची-3

जिला—बालाघाट, तहसील—बैहर, वनमण्डल—बफ़र जोन वनमण्डल, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला, वनपरिक्षेत्र—समनापुर

अ. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष का क्रमांक	क्षेत्रफल (हे. में.) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा.	आरक्षित वन नहीं रहने का कारण	आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	हतबन	भैसानघाट	पुराना-1065 नया-199	117.407	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/2017 FC, दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम दुधनिया की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.	उत्तर—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 199 की पश्चिमी सीमा पर स्थित मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 6 तक नवीन कृत्रिम रेखा. पूर्व—नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 6 से मुनारा क्रमांक 19 तक. दक्षिण—नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 19 से मुनारा क्रमांक 24 तक, मुनारा क्रमांक 24 से 29 तक कक्ष क्रमांक 199 की सीमा.

पश्चिम—नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 29 से मुनारा क्रमांक 1 तक.

अनुसूची-4

जिला—बालाघाट, तहसील—बैहर, वनमण्डल—बफर जोन वनमण्डल, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला, वनपरिक्षेत्र—गढ़ी

अ. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष का क्रमांक	क्षेत्रफल (हे. में.) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा.	आरक्षित वन नहीं रहने का कारण	आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आमाटोला	कोयली-खापा	पुराना-846 नया-110.	93.698	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/2017 FC, दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम अडवार की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.	उत्तर—मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 2 तक हालोन नदी. पूर्व—नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 2 से 14 तक. दक्षिण—नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 14 से 18 तक. पश्चिम—नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 18 से मुनारा क्रमांक 1 तक.
2	टोपला	रायगढ़ पश्चिम	पुराना-852 नया-116.	41.69	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/2017 FC, दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम अडवार की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.	उत्तर—समरिया-जैतपुरी रोड़ पर मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 11 तक. पूर्व—नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 13 तक. दक्षिण—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 127 की उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 28 तक. पश्चिम—नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 28 से मुनारा क्रमांक 1 तक.
3	आमाटोला	कोयली-खापा	पुराना-846 नया-110.	104.22	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/2017 FC, दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम अडवार की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.	उत्तर—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 110 की उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 5 तक. पूर्व—नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 8 तक. दक्षिण—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 110 की दक्षिणी सीमा मुनारा क्रमांक 8 से मुनारा क्रमांक 14 तक. पश्चिम—नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 1 तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	धीरी	कोयली- खापा	पुराना-844 नया-108.	193.91	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/2017 FC, दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम दुधनिया की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.	उत्तर—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 108 की उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 7 तक. पूर्व—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 108 की पूर्वी सीमा मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 12 तक. दक्षिण—नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 12 से आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 109 की पूर्वी सीमा से मुनारा क्रमांक 21 तक. पश्चिम—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 108 की पश्चिमी सीमा मुनारा क्रमांक 21 से मुनारा क्रमांक 1 तक.
5	खिरसाड़ी	रायगढ़ एम. 23	पुराना-831 नया-95.	195.92	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/2017 FC, दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम सूपखार की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.	उत्तर—नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 6, मुनारा क्रमांक 6 से धीरी-खिरसाड़ी रोड पर मुनारा क्रमांक 8 तक. पूर्व—नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 8 से मुनारा क्रमांक 23 तक. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 23 से धीरी-खिरसाड़ी रोड पर मुनारा क्रमांक 30 तक. पश्चिम—धीरी-खिरसाड़ी रोड पर मुनारा क्रमांक 30 से मुनारा क्रमांक 35 तक, मुनारा क्रमांक 35 से मुनारा क्रमांक 1 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-15-18-2021-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-18-2021-दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

F No. 15-18-2021-X-2.—In exercise of powers conferred by Section 27 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Reserve Forest by the Notification Number 888-1879-40-295-A-XV, Dated 29th August 1921 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Reserve Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department:—

SCHEDULE-1

District—Mandla, Tehsil—Bichhiya, Forest Division—Buffer Zone Division, Kanha Tigar Reserve, Mandla Forest Range—Sijhora

S. No.	Forest Beat	Forest Block	Forest Compartment No.	Area to be Cease Reserved Forest (Hectares)	Brief description of reasons for ceasing Reserve Forest	Boundaries of Forest land to be Reserved Forest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Manjhipur	B-8 Tendua	Old-1444 New-32	253.333	The denotification of the Forest land diverted for rehabilitation of forest village Matigahan from Kanha National Park <i>vide</i> Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017-FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land.	<p>North—Southern boundary of village Khalondi boundary Pillar No. 1 to 8, from nala to boundary Pillar No. 9.</p> <p>East—Artificial boundary line from boundary pillar No. 9 to 28.</p> <p>South—From boundary pillar No. 28 to 31 the boundary of village Jailwara and Artificial boundary from boundary pillar No. 31 to 32.</p> <p>West—The Boundary of compartment No. 32 (Reserve Forest), from boundary pillar No. 32 to 1.</p>

SCHEDULE-2

District—Mandla, Tehsil—Bichhiya, Forest Division—Buffer Zone Division, Kanha Tiger Reserve, Mandla Forest Range—Motinala

S. No.	Forest Beat	Forest Block	Forest Compartment No.	Area Cease to be Reserved Forest (Hectares)	Brief description of reasons for ceasing Reserve Forest	Boundaries of Forest land to be Reserved Forest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Manjhipur	B-9 Bailalutra	Old-1395, 1398 New-188, 176	105.627	The denotification of the Forest land diverted for rehabilitation of forest village Piparawara from Kanha National Park <i>vide</i> Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017-FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land.	North —New artificial boundary line boundary pillar No. 1 to 14. East —New artificial boundary line from boundary pillar No. 14 to 38. South —From boundary pillar No. 38 to artificial boundary line of boundary pillar No. 48. West —Artificial boundary line from boundary pillar No. 48 to 1.
2	Malumjhola	M-11 South Phen	Old-1377, 1378, 1402 New- 144, 145, 147	103.884	The denotification of the Forest land diverted for rehabilitation of forest village Chilpura from Kanha National Park <i>vide</i> Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017-FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land.	North —New artificial boundary line from boundary pillar No. 1 to 11. East —New artificial boundary line from boundary pillar No. 11 to 14. South —Artificial boundary line from boundary pillar No. 14 to 23, natural nala from boundary pillar No. 23 to 24. West —New artificial boundary line from boundary pillar No. 24 to 1.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Murkuta	M-11 South Phen	Old-1408, 1410, 1411 New- 152, 153, 154	183.039	The denotification of the Forest land diverted for rehabilitation of forest village Chakarwah and Gaydhar from Kanha National Park <i>vide</i> Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017-FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land.	<p>North—Situated at the Phen River, beginning from the boundary pillar No. 1 to 16 of southern boundary of village Lalpur.</p> <p>East—From boundary pillar No. 16 to compartment No. 153A (RF) to northeastern boundary of boundary pillar No. 23.</p> <p>South—From boundary pillar No. 23 to 32 north-western boundary of compartment No. 153A (RF), Afterwards, boundary pillar No. 32 to 36 west boundary of compartment No. 152A (RF).</p> <p>West—From boundary pillar No. 36 to 40, the boundary of compartment No. O-167, afterwards, natural boundary line of Bhai-Bahan Nala upto the Phen River and Phen River to boundary pillar No.1</p>
4	Kikra	M-11 South Phen	Old-1415 New-136	158.46	The denotification of the Forest land diverted for rehabilitation of forest village Deoridadar and Kawahjar from Kanha National Park <i>vide</i> Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017-FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land.	<p>North—Boundary pillar No. 1 of the Phen River to Boundary pillar No. 3, On the Motinala-Narharganj road from the boundary pillar No. 3 to 7 at Barijehori Nala, where boundary of compartment No. 136 exist till boundary pillar No. 7.</p> <p>East—Boundary pillar No. 7 situated at Barijehori Nala to boundary pillar No. 16 situated on the Phen River.</p> <p>South-West—On the Phen River boundary pillar No. 16 to 1.</p>

SCHEDULE-3

District—Balaghat, Tehsil—Baihar, Forest Division—Buffer Zone Division, Kanha Tiger Reserve, Mandla Forest Range—Samnapur

S. No.	Forest Beat	Forest Block	Forest Compartment No.	Area Cease to be Reserved Forest (Hectares)	Brief description of reasons for ceasing Reserve Forest	Boundaries of Forest land to be Reserved Forest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hatban	Bhai-sanghat	Old-1065, New-199	117.407	The denotification of the Forest land diverted for rehabilitation of forest village Dudhaniya from Kanha National Park <i>vide</i> Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017-FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land.	<p>North—From boundary pillar No. 1 on the Western boundary of compartment No. 199 (Reserve Forest) to pillar No. 6 new cut line.</p> <p>East—New artificial cutline from pillar No. 6 to 19.</p> <p>South—New artificial cutline from pillar No. 19 to 24 and compartment No. 199 (Reserve Forest) line from boundary pillar No. 24 to 29.</p> <p>West—New artificial cutline from pillar No. 29 to 1.</p>

SCHEDULE-4

District—Balaghat, Tehsil—Baihar, Forest Division—Buffer Zone Division, Kanha Tiger Reserve, Mandla Forest Range—Garhi

S. No.	Forest Beat	Forest Block	Forest Compartment No.	Area Cease to be Reserved Forest (Hectares)	Brief description of reasons for ceasing Reserve Forest	Boundaries of Forest land to be Reserved Forest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aamatola	Koilikhapa	Old-846 New-110	93.698	The denotification of the Forest land diverted for rehabilitation of forest village Adwar from Kanha National Park <i>vide</i> Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017-FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land.	<p>North—Halon River from pillar No. 1 to 2.</p> <p>East—New artificial boundary line from boundary pillar No. 2 to 14.</p> <p>South—New artificial boundary line from boundary pillar No. 14 to 18 new cut line.</p> <p>West—New artificial boundary line from boundary pillar No. 18 upto pillar No. 1.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Topla	Raigarh West	Old-863, New-127	41.69	The denotification of the Forest land diverted for rehabilitation of forest village Adwar from Kanha National Park <i>vide</i> Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017-FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land.	<p>North—From boundary pillar No. 1 to 11 on samariya-Jaitpuri road.</p> <p>East—New artificial line from boundary pillar No. 11 to 13.</p> <p>South—Northern boundary of compartment No. 127 (Reserved Forest) boundary pillar No. 13 to 28.</p> <p>West—New artificial boundary line from boundary pillar No. 28 to 1.</p>
3	Aamatola	Koilikhapa	Old-846 New-110	104.22	The denotification of the Forest land diverted for rehabilitation of forest village Adwar from Kanha National Park <i>vide</i> Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017-FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land.	<p>North—Northern boundary of compartment No. 110 from boundary pillar No. 1 to 5.</p> <p>East—New artificial boundary line from boundary pillar No. 5 to 8.</p> <p>South—Southern boundary of compartment No. 110 from boundary pillar No. 8 to 14.</p> <p>West—New artificial boundary line from boundary pillar No. 14 to 1.</p>
4	Dhiri	Koilikhapa	Old-844 New-108	193.91	The denotification of the Forest land diverted for rehabilitation of forest village Dudhaniya from Kanha National Park <i>vide</i> Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017-FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land.	<p>North—Northern boundary of compartment No. 108 (Reserve Forest) boundary pillar No. 1 to 7.</p> <p>East—Eastern boundary of compartment No. 108 (Reserve Forest) boundary pillar No. 7 to 12.</p> <p>South—New Artificial boundary line from boundary pillar No. 12 to the Eastern boundary of compartment No. 109 (Reserve Forest) upto the boundary pillar No. 21.</p> <p>West—Western boundary of compartment No. 108 (Reserve Forest) boundary pillar No. 21 to 1.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Khirsadi	Raigarh M-23	Old-831, New-95	195.92	The denotification of the Forest land diverted for rehabilitation of forest village Supkhar from Kanha National Park <i>vide</i> Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017-FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land.	<p>North—New artificial boundary line from boundary pillar No. 1 to 6, boundary pillar No. 6 to 8 on Dhiri-Khirsari road.</p> <p>East—New artificial boundary line from boundary pillar No. 8 to 23.</p> <p>South—From boundary pillar No. 23 to 30 on Dhiri-khirsari road.</p> <p>West—From boundary pillar No. 30 to 35 on Dhiri-Khirsari road, from boundary pillar No. 35 to 1.</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

प्र. क्र. 10-अ-82-21-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (01) से (06) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (08) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	बेगमगंज	खेजडा	27/1/1	0.809	0.282	कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर.	बीना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मडिया बांध से डूब प्रभावित हेतु.
			27/1/2	0.809	0.768		
			28	2.812	2.812		
			29/1	0.299	0.299		
			29/2	0.405	0.405		
			30/1	4.751	4.751		
			30/2	2.423	2.423		
			31	2.792	2.792		
			33	0.356	0.356		
			34	1.473	1.473		
			35/1	3.176	3.176		
			35/2	0.405	0.405		
			36	1.060	1.060		
			37	0.704	0.704		
			38/1	2.072	2.072		
			38/2	1.582	1.582		
			39	0.393	0.393		
			40	0.393	0.393		
			42/1	1.619	1.619		
			42/2/1	1.829	1.829		
42/2/2	0.486	0.486					
42/2/3	0.550	0.550					
42/2/4	0.971	0.971					
42/2/5	0.332	0.332					
43/1/1	6.369	4.929					
43/1/2	6.370	5.610					
43/2/1	0.397	0.397					
43/2/2	1.740	1.740					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			43/2/3	1.675	1.675		
			43/2/4	1.254	1.254		
			44	0.170	0.170		
			46	0.077	0.077		
			48	0.065	0.065		
			49	0.101	0.101		
			50 शा. न.	0.190	0.190		
			100/50				
			53	3.800	3.800		
			55/1	0.764	0.764		
			55/2	1.350	1.350		
			56	0.510	0.510		
			57/1	3.238	3.238		
			57/2	2.201	2.201		
			58	0.652	0.240		
			59/1	0.202	0.202		
			59/2	1.230	1.230		
			60	2.509	1.773		
			62/2	3.639	0.065		
			77/2	3.789	0.010		
			79/1/1	0.809	0.275		
			79/1/3	0.530	0.032		
			79/1/4	0.493	0.493		
			79/2	0.809	0.315		
			80/2 शा. न.	0.607	0.458		
			81, 82				
			80/3 शा. न. 81, 82	0.607	0.607		
			81, 82				
			80/4 शा. न. 81, 82	0.040	0.040		
			83	0.656	0.656		
			84	2.278	2.278		
			85	0.332	0.332		
			86/1	0.983	0.983		
			86/2	0.983	0.983		
			87/1	0.906	0.906		
			87/2/1	1.214	1.214		
			87/2/2	0.311	0.311		
			88/1	0.311	0.311		
			88/2	0.309	0.309		
			89/1	0.276	0.276		
			89/2	0.276	0.276		
			93/55	0.506	0.506		
			98/38	0.308	0.308		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 33-अ-82-21-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (01) से (06) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (08) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	बेगमगंज	सुनेहरा	39/1	0.219	0.008	कार्यपालन यंत्री, बीना	बीना सिंचाई
			41/1	0.232	0.048	परियोजना जल संसाधन	परियोजना के
			41/2	0.464	0.081	संभाग राहतगढ़ जिला	अंतर्गत मडिया
			43/1	0.308	0.016	सागर.	बांध से डूब
			43/2	0.308	0.016		प्रभावित हेतु.
			44/1/1	0.243	0.016		
			44/1/2	0.243	0.016		
			44/1/3	0.247	0.016		
			44/1/4	0.732	0.094		
			44/2	0.720	0.101		
			45	1.226	0.089		
			56/2	0.983	0.081		
			77/1	0.080	0.028		
			77/2/2/1/3	0.178	0.021		
			78	0.214	0.020		
			79	0.049	0.020		
			84/2	1.216	0.069		
			88/52	0.324	0.202		
			203/1/1	0.032	0.008		
			203/1/2	0.028	0.008		
			203/1/3	0.028	0.008		
			203/2	0.085	0.017		
			203/3	0.089	0.012		
			730/41	0.841	0.348		
			731/39/2	0.159	0.012		
			732/43/1	0.206	0.007		
			732/43/2	0.202	0.016		
			732/43/3	0.244	0.028		
			733/44	0.611	0.235		
			746/203	0.202	0.012		
			कुल ..	10.713	1.653		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 04-अ-82-21-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (01) से (06) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (08) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	बेगमगंज	कोलुआ	2/1	0.186	0.186	कार्यपालन यंत्री, बीना	बीना सिंचाई
			2/2	0.190	0.190	परियोजना जल संसाधन	परियोजना के
			3/1	0.154	0.154	संभाग राहतगढ़ जिला	अंतर्गत मडिया
			3/2	0.158	0.158	सागर.	बांध से डूब
			4	0.534	0.534		प्रभावित हेतु.
			5	2.242	2.242		
			6	0.393	0.393		
			7	0.158	0.158		
			10	1.910	1.910		
			11	0.870	0.870		
			13	2.007	1.789		
			14	0.93	0.93		
			15	0.295	0.295		
			17	0.802	0.802		
			18	0.251	0.251		
			19	0.352	0.352		
			20	0.45	0.45		
			21/1	0.275	0.275		
			21/2	0.833	0.833		
			22	1.161	1.161		
			23/1	0.242	0.242		
			23/2	0.603	0.603		
			23/3	0.612	0.612		
			24/1/1	0.506	0.105		
			24/1/2	1.845	0.793		
			24/2/1	0.947	0.498		
			24/2/2	1.405	1.154		
			26/135/26/1	0.979	0.130		
			29/1	0.166	0.166		
			29/2	0.239	0.206		
			30	0.036	0.036		
			37	0.097	0.045		
			40	0.154	0.011		
			41	0.405	0.085		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			42/1	0.684	0.635		
			42/2	0.607	0.410		
			43/1	2.023	0.888		
			43/2	0.875			
			96/1	0.461	0.205		
			101/102/103/1	0.295	0.295		
			101/102/103/2	0.272	0.272		
			105	3.022	0.870		
			106	0.097	0.097		
			107/1	0.190	0.190		
			107/2	0.194	0.194		
			108	0.312	0.312		
			109	0.295	0.295		
			110	0.239	0.239		
			111/1	0.360	0.360		
			111/2	0.339	0.339		
			111/3	0.348	0.348		
			112/1	0.012	0.012		
			112/2	0.032	0.032		
			112/3	0.028	0.028		
			113/1/1/1	0.971	0.818		
			113/2	2.023	0.081		
			134/10	0.308	0.308		
			138/43	0.182	0.085		
			146/29	0.243	0.243		
			147/31	0.146	0.146		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-21-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (01) से (06) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (08) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	बेगमगंज	मडिया सेतू	43/1	1.619	0.081	कार्यपालन यंत्री, बीना	बीना सिंचाई
			43/2	0.991	0.020	परियोजना जल संसाधन	परियोजना के
			44/1	0.505	0.041	संभाग राहतगढ़, जिला	अंतर्गत मडिया
			44/2	0.121	0.020	सागर.	बांध से डूब
			46/1	0.065	0.025		प्रभावित हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			46/2	0.141	0.016		
			47/1	0.585	0.024		
			47/2	1.619	0.094		
			47/3	1.619	0.016		
			47/4	0.66	0.016		
			47/5	1.619	0.024		
			54/1	1.002	0.101		
			55/1/1/1	0.182	0.081		
			55/1/1/2	0.182	0.020		
			55/1/2	0.368	0.032		
			55/2	0.368	0.101		
			55/3	0.368	0.041		
			56/1	2.164	0.008		
			58	4.872	0.133		
			155	2.055	0.085		
			160	0.761	0.032		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 26-अ-82-21-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (01) से (06) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (08) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	बेगमगंज	देवलापुर	49/50	0.809	0.020	कार्यपालन यंत्री, बीना	बीना सिंचाई
			51	0.028	0.028	परियोजना जल संसाधन	परियोजना के
			91/1	0.793	0.793	संभाग राहतगढ़, जिला	अंतर्गत मडिया
			91/2	0.806	0.806	सागर.	बांध से डूब
			91/3	0.324	0.324		प्रभावित हेतु.
			91/4, 91/6	1.315	1.315		
			91/5	0.425	0.425		
			91/4, 91/6	1.315	1.315		
			92/1	0.571	0.571		
			92/2/1	0.081	0.081		
			92/2/2	0.809	0.809		
			92/3	0.162	0.162		
			93/1/1	0.809	0.809		
			93/1/2	0.405	0.405		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			93/2	0.692	0.692		
			93/3	0.692	0.692		
			93/4	0.885	0.885		
			94/1/1	1.214	0.101		
			94/1/2	1.214	0.283		
			94/1/3	1.214	1.214		
			94/1/4	1.214	1.012		
			94/1/5	1.214	0.907		
			94/1/6	1.214	1.214		
			94/1/7	1.214	1.214		
			94/1/8	1.133	1.133		
			94/1/9	1.133	1.133		
			94/1/10/1	0.728	0.728		
			94/1/10/2	0.405	0.405		
			94/1/11	1.133	1.133		
			94/1/12	1.133	1.133		
			94/1/13	1.145	1.145		
			94/2	0.016	0.016		
			95/1/1	1.712			
			95/1/2	3.893	4.006		
			95/1/3	0.001			
			98	0.425	0.425		
			99/1/1/1	0.187	0.187		
			99/1/1/2	0.856	0.856		
			99/1/2	0.607	0.607		
			99/2/1	2.797	2.797		
			99/2/2	1.250	1.250		
			100	0.502	0.502		
			101/1	1.619	0.489		
			101/2/1	4.023	2.971		
			101/2/2	4.225	3.214		
			105	0.470	0.080		
			139/1	0.319	0.319		
			139/2	0.053	0.053		
			140/1	2.230	3.149		
			140/2	2.230			
			142	0.227	0.227		
			143	0.146	0.146		
			144/2	0.809	0.809		
			145	0.186	0.186		
			146	0.206	0.206		
			147	0.097	0.097		
			151/48				
			159/140	0.299	0.299		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			160/96/1	0.081	0.081		
			161/96/1	0.121	0.121		
			161/96/2/1	0.405	0.405		
			163/95	0.202	0.190		
			166/161/96/1	0.405	0.405		
			166/161/96/2	0.142	0.142		
			171/144	0.024	0.024		
			172/144	0.020	0.020		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 13 अक्टूबर 2021

(मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत)

क्र. 193-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग (मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम) के पैकेज-21 कतरगांव-करही-पाडल्या मार्ग (एमपी.एमडीआर-09) सनावद-ढकलगांव-हिरापुर-भीकनगांव मार्ग (एमपी-एमडीआर-20-11), भीकनगांव-केंदवा शंकरगांव-खुडगांव-अंदड मार्ग (एमपी-एमडीआर-20-12) में निर्माणाधीन पुल के एप्रोच निर्माण के लिये निम्न विवरण में वर्णित भूमि की आवश्यकता है तथा विवरण में उल्लेखित भूमिस्वामी/भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका-10 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप ख में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है, कि नीति के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा:—

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला—खरगोन, तहसील—भीकनगांव, प.ह.नं.—25, ग्राम—रहगांव, कुल प्रभावित क्षेत्रफल 1180 वर्गमीटर

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (वर्गमीटर में)	प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)			अन्य संपत्ति
				सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सुरेश पिता शिवराम, निवासी ग्राम रहगांव, तहसील भीकनगांव.	49	610	-	40	40	-
2	तुलसीराम पिता सीताराम, निवासी ग्राम रहगांव, तहसील भीकनगांव.	50	570	-	120	120	-
3	पेमदु पिता सीताराम, निवासी ग्राम रहगांव, तहसील भीकनगांव.	61	280	-	210	210	-
4	गंगाबाई पति स्व. जगदीश, निवासी ग्राम रहगांव, तहसील भीकनगांव.	65 59/2	1340 400	- -	150 240	150 240	- -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	राधेश्याम पिता मंगत, निवासी ग्राम रहगांव, तहसील भीकनगांव.	66	1090	-	240	240	-
6	सेवंतीबाई पति शिवराम, निवासी ग्राम रहगांव, तहसील भीकनगांव.	53/2	690	-	180	180	-
योग . .		-	4980	-	1180	1180	-

नोट—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., भीकनगांव एवं संभागीय महाप्रबंधक, एम.पी.आर.डी.सी., कार्यालय ग्रेटर कैलाश रोड ओल्ड पलासिया, इंदौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुग्रहा पी., कलेक्टर..

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 अक्टूबर 2021

क्र. 7580-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिंदवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—जटलापुर, प.ह.न.—52, ब. न.—183, रा.नि.मं.—छिंदवाड़ा
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—0.052 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

क्रमांक	प्रस्ताविक खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	62/2	0.052
योग . .		कुल रकबा—0.052

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र.-1 चौरई, तहसील चौरई, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उप संभाग क्र.-1 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 18 अक्टूबर 2021

प्र. क्र. 2-अ-82-2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि
(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया
(ग) ग्राम—रामनगर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—0.046 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	प्रभावित रकबा (हे. में) (2)
615/712/4	0.046
योग . .	<u>0.046 हे. डायवर्टेड</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—मथुरा-झाँसी के मध्य तीसरी रेल लाईन के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड, झाँसी (उ. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 2 अक्टूबर/नवम्बर 2021

क्र. 7967-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2021.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा ज्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम-रंगारी तालाब एवं बांढा, तहसील-मोहखेड, जिला छिन्दवाड़ा के रंगारी तालाब जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19(1) के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को किया गया है. तदुपरांत अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत निर्धारित समयावधि एक वर्ष के भीतर धारा 23 के तहत अवार्ड आदेश पारित नहीं किया गया है.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 3024-कार्य-2021, छिन्दवाड़ा दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के परिप्रेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 25 के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2021

क्रमांक 11-भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कॉलम नं. 7 में अंकित (क्षेत्रफल) भूमि सार्वजनिक प्रयोजन कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.-2 जबलपुर, द्वारा जबलपुर शहर में दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाईओवर लंबाई 5.905 कि. मी. निर्माण के लिए आवश्यकता है. इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19(4) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची-1
भूमि का विवरण

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—आधारताल
(ग) ग्राम—सुभाषनगर
(घ) रा.नि.म.—आधारताल
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—3065.773 वर्ग मी. एवं इस पर आने वाली अन्य परिसम्पत्तियां.
(च) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाईओवर निर्माण.

अनुसूची -2

प्रभावित धारकों की सूची

(भाग-1) भारत संचार निगम लिमिटेड								
स. क्र.	कषकका नाम/(पिता /पति) कानाम	ग्राम	भवन की स्थिति कच्चा/पक्का/व्यवसायिक/आवासीय	ख.नं. एवं शीट नं./प्लॉट क्र.	कुल रकबा (वर्गमी. में)	अर्जित रकबा वर्गमी. में	सीमाएं उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम	भूमि पर स्थित संरचनाओं पेड़ों आदि यदि कोई हो का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस. एन. एल.) पता—रानीताल चौक जबलपुर	सुभाषनगर	कैक्ट्री की दीवार एवं खाली भूमि	301/258 301/259 301/260	466390.00 49617.00 44300.00	1730.00 282.00 321.00	उत्तर—सड़क दक्षिण—शेषभाग पूर्व—सड़क पश्चिम—शेषभाग	
योग—						2333.00		
(भाग संख्या-2) पिंजरा पोल (गोशाला)								
स. क्र.	कषकका नाम/(पिता /पति) कानाम	ग्राम	भवन की स्थिति कच्चा/पक्का/व्यवसायिक/आवासीय	ख.नं. एवं शीट नं./प्लॉट क्र.	कुल रकबा (वर्गमी. में)	अर्जित रकबा वर्गमी. में	सीमाएं उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम	भूमि पर स्थित संरचनाओं पेड़ों आदि यदि कोई हो का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	पिंजरापोल एसोसिएशन लि. जबलपुर अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल पिता बालकृष्ण अग्रवाल 20 -ए नयागांव हाऊसिंग सोसायटी जबलपुर	सुभाषनगर	कच्चा मकान खाली भूमि	शीट न.71 प्लॉट न. 268/1	3456.12	65.105 330.304	उत्तर—सड़क दक्षिण—आशाजैन पूर्व—सड़क पश्चिम—बी.एस.एन. एल. की दीवार	
योग—						395.409		

अनुवि.
...

(भाग संख्या-3) सोनी एसोसिएट से रूपमटावर (गेट नं. 2)								
स. क.	कषकका नाम / (पिता / पति) कानाम	ग्राम	भवन की स्थिति कच्चा / पक्का / व्यवसायिक / आवासीय	ख.नं. एवं डाय. शीट क्र. / प्लॉट क्र.	कुल रकबा (वर्गमी. में)	अर्जित रकबा वर्गमी.में	सीमाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम	भूमि पर स्थित संरचनाएं पेड़ोंआदि यदि कोई हो का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	श्री जगन्नाथ पांडुरंग	सुभाष नगर	गली	71 141	78.346	8.16	उत्तर-संजय श्रीवास्तव दक्षिण-निर्मला पूर्व-मकान का शेष भाग पश्चिम-सड़क	
4	सौ० निर्मला पति प्रभाकर बागडदेव	सुभाष नगर	व्यवGF आवाFF	71 142 /2	104.461	17.568	उत्तर-श्रीजगन्नाथ दक्षिण-अखिल श्रीवास्तव पूर्व-मकान का शेष भाग पश्चिम-सड़क	
5	अखिल श्रीवास्तव आत्मज ब्रजमोहन श्रीवास्तव श्रीमति अर्चना पति अखिल श्रीवास्तव	सुभाष नगर	व्यवGF आवाFF	71 142 /4	18.123	16.017	उत्तर-निर्मला दक्षिण-मनीष गुप्ता पूर्व-मकान का शेष भाग पश्चिम-सड़क	
6	श्री मनीष गुप्ता पिता स्व. श्री दशरथलाल गुप्ता	सुभाष नगर	व्यवG+2	71 143 /1	47.026	15.150	उत्तर-अखिल श्रीवास्तव दक्षिण-सुगंधीबाई पूर्व-दुकान का शेष भाग पश्चिम-सड़क	
7	श्रीमति सुगंधीबाई पति स्व.श्री दशरथलाल गुप्ता	सुभाष नगर	व्यवसायिकG+1	71 143 /3	55.158	8.947	उत्तर-मनीष गुप्ता दक्षिण-रोहित खटवानी पूर्व-दुकान का शेष भाग	

							पश्चिम-सड़क	
8	श्री रोहित खटवानी पिता रामचन्द्र खटवानी श्रीमति सीमा खटवानी पति रोहित खटवानी	सुभाष नगर	व्यवसायि क G+3	71 144 /1	197.010	4.70	उत्तर-सुगंधी बाई दक्षिण-हनुमान मंदिर पूर्व-दुकान का शेष भाग पश्चिम-सड़क	
9	महावीर जी मंदिर भूमि स्वामी सर पं. महेन्द्र प्रसाद आत्मज पं. सुदामा प्रसाद दुबे	सुभाष नगर	मंदिर G+1	71 144 /2	181.277	4.608	उत्तर-रोहित खटवानी दक्षिण-रोहित खटवानी पूर्व-रोहित खटवानी पश्चिम-सड़क	
10	श्री रोहित खटवानी पिता रामचन्द्र खटवानी श्रीमति सीमा खटवानी पति रोहित खटवानी	सुभाष नगर	व्यवसायि क प्लॉट तनिष्क	71 144 /1	285.789	25.00	उत्तर-हनुमान मंदिर दक्षिण-प्रहलाद मूलचंदानी पूर्व-दुकान का शेष भाग पश्चिम-सड़क	
11	श्री प्रहलाद मूलचंदानी पिता मुरलीधर मूलचंदानी श्रीमति जान्हवी मूलचंदानी पति प्रहलाद मूलचन्दानी	सुभाष नगर	व्यवGF	71 144 /1	20.791	20.052	उत्तर-रोहित खटवानी दक्षिण-सड़क पूर्व-IOCLपंप पश्चिम-सड़क	
12	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जी 9 अलीपावन जंग भार्ग ब्रन्दा ईस्ट मुंबई द्वारा सीनियर डिबीजनल मैनेजर IOCL मढ़ोताल जबलपुर	सुभाष नगर	व्यवसायि क पक्का	71 145 /1	-	100.762	उत्तर-IOCLपंप काशेषभाग दक्षिण-सड़क पूर्व-रास्ता पश्चिम-प्रहलादमू लचंदानी	

13	श्री विकास मग्गू पिता वी०व्ही०के० मग्गू	सुभाष नगर	व्यव प्लाट	71 145 /4	-	49.78	उत्तर-दुकान का शेष भाग दक्षिण-सड़क पूर्व-रूपम टावर डाबर जी पश्चिम-रास्ता
14	श्रीमति रश्मि पति विश्वनाथ श्रीमति आशा डाबर पति पी.सी. डाबर आशीष डाबर पिता श्री. प्रफुल्य चंद्र डाबर श्री विकास डाबर पिता पी.सी. डाबर	सुभाष नगर	व्यवसायि क प्लाट	71 145 /3	-	51.90	उत्तर-भवन का शेष भाग दक्षिण-सड़क पूर्व-हर्ष पटेरिया पश्चिम-विकास मग्गू रूपम टावर
15	रूपम टावर खुला पैसेज आने जाने का रास्ता	सुभाष नगर	खुली भूमि	71 145	-	14.72	उत्तर- शेष भाग दक्षिण-सड़क पूर्व-रश्मि, आशा पश्चिम-विकास मग्गू
योग-						337.364	
कुलयोग (भाग-1,2 एवं 3)-						3065.773	

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फलाई ओवर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

(2) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं उक्त दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फलाई ओवर निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है। भू-अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा 2 के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है।

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (हॉट बजार विजय नगर) तहसील-अधारताल, जिला-जबलपुर के कार्यालय में एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.-02 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 12-भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कॉलम नं. 7 में अंकित (क्षेत्रफल) भूमि सार्वजनिक प्रयोजन कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.-2 जबलपुर, द्वारा जबलपुर शहर में दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाईओवर लंबाई 5.905 कि. मी. निर्माण के लिए आवश्यकता है. इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमि स्वामियों का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19(4) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची-1 भूमि का विवरण

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—आधारताल
(ग) ग्राम—हिनोतिया
(घ) रा.नि.म.—हिनोतिया (आधारताल)
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—2139.095 वर्ग मी. एवं इस पर आने वाली अन्य परिसम्पत्तियां.
(च) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर निर्माण.

अनुसूची-2 प्रभावित धारकों की सूची

(भाग-1) भारत संचार निगम लिमिटेड								
क.	कषक का नाम / (पिता / पति) का नाम	ग्राम	भवन की स्थिति कच्चा / पक्का / व्यवसायिक / आवासीय	ख.नं. एवं डाय. शीट क्र. / प्लॉ. क्र.	कुल रकबा (वर्गमी. में)	अर्जित रकबा वर्गमी. में	सीमाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम	भूमि पर स्थित संरचनाओं पेड़ों आदि यदि कोई हो का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भारत संचार निगम लिमिटेड(बी.एस.एन.एल.)पता—रानीताल चौक जबलपुर	हिनोतिया	फैक्ट्री की दीवार एवं खाली भूमि	301& 302 300 287/1-2 286	2230.00 570.00 690.00 810.00	349.00 288.00 306.00 306.00	उत्तर - सड़क दक्षिण -शेष भाग पूर्व - सड़क पश्चिम -शेष भाग	
योग-						1249.00		
(भाग संख्या-2) साधना कैमिस्ट से सुदामा हार्डवेयर तक (रानीताल चौक)								
क.	कषक का नाम / (पिता / पति) का नाम	ग्राम	भवन की स्थिति कच्चा / पक्का / व्यवसायिक / आवासीय	ख.नं. एवं डाय. शीट क्र. / प्लॉ. क्र.	कुल रकबा (वर्गमी. में)	अर्जित रकबा वर्गमी. में	सीमाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम	भूमि पर स्थित संरचनाओं पेड़ों आदि यदि कोई हो का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	श्री पारस जैन पिता एन.सी. जैन (स्व.श्रीमति सुषमा जैन पति एन. सी. जैन) साधना कैमिस्ट रानीताल चौक	हिनौतिया	व्यव. G+2	76 में सें 61 /9	125.46	15.77	उत्तर - शेष भाग दक्षिण - सड़क पूर्व - रतना रोहरा पश्चिम- शेष भाग	
3	अनीता, मनोज, सुभाष रोहरा, पिता स्व. हरिराम रोहरा (स्व. श्रीमति रतना रोहरा पति स्व. श्री हरिराम रोहरा) सुभाष मेडीकल रानीताल चौक	हिनौतिया	व्यव. G+2	76 /7 में सें	164.252	127.348	उत्तर-शेष भाग दक्षिण- सड़क पूर्व- रामराघव तुर्वेदी पश्चिम -सुषमा जैन	
4	श्री रामराघव चतुर्वेदी पिता स्व. पं. रामप्रसाद चतुर्वेदी श्री हनुमान मंदिर रानीताल चौक	हिनौतिया	मंदिर GF	76 /2 में सें	124.490	47.854	उत्तर - भगताराम दक्षिण -रतना रोहरा पूर्व - सड़क पश्चिम -शेष भाग	
5	श्री भगताराम सदरगांनी पिता हीरानंद सदरगांनी	हिनौतिया	व्यव. G+1	76 /1 में सें	46.21	31.33	उत्तर-लता सदरगांनी दक्षिण- रामराघव चतुर्वेदी पूर्व - सड़क पश्चिम -शेष भाग	
6	श्रीमति लता सदरगांनी पति श्री भगताराम, रानीताल चौक	हिनौतिया	व्यव. GF	76 /1 में सें	96.970	60.705	उत्तर-मीना सोनी दक्षिण- भगताराम पूर्व - सड़क पश्चिम -शेष भाग	
7	श्रीमति मीना सोनी पति श्री अनिल कुमार सोनी, रानीताल चौक	हिनौतिया	व्यव. GF	76 में सें	अविभाजित हिस्सा 2.00	2.00	उत्तर -भगताराम दक्षिण-लता सदागांनी पूर्व - सड़क पश्चिम- भगताराम	अर्जित क्षेत्रफल =8.382 वर्ग मी. मे से अविभाजित हिस्सा 6.382 वर्ग मी भगत राम का भूमि प

8	श्री भगताराम सदरगांणी पिता हीरानंद सदरगांणी रानीताल चौक (अविभाजित हिस्सा)	हिनौतिया	व्यव. GF	76 में सें	अविभाजित हिस्सा	6.382	उत्तर -भगताराम दक्षिण -लता सदागांणी पूर्व - सड़क पश्चिम -भगताराम	
9	श्री भगताराम सदरगांणी पिता हीरानंद सदरगांणी श्रीमति लता सदरगांणी पति भगताराम सदरगांणी	हिनौतिया	व्यव. GF	76 में सें	48.770	48.770	उत्तर - सुदामा बाई दक्षिण-मीना सोनी पूर्व - सड़क पश्चिम - लता सदागांणी	
				76 में सें	96.970	38.622		
10	श्रीमति सुदामा बाई पति श्री शम्भूप्रसाद राय पान दुकान, रानीताल चौक	हिनौतिया	व्यव. G+1	76 /3 में सें	65.496	10.407	उत्तर -हंसराज बुलानी दक्षिण -भगताराम पूर्व - सड़क पश्चिम -शेष भाग	
11	श्री हंसराज बुलानी पिता लक्ष्मणदास बुलानी किराना दुकान	हिनौतिया	व्यव. GF	76 /3 में सें	अविभाजित हिस्सा हंसराज बुलानी 12.077	12.077	उत्तर - सुदामा बाई दक्षिण - सुदामा बाई पूर्व - सड़क पश्चिम -सुदामा बाई	अर्जित क्षेत्रफल =52.774 वर्ग मी. मे से अविभाजित हिस्सा 40.697 वर्ग मी.सुदामा बाई का भूमि पर
12	श्रीमति सुदामा बाई पति श्री शम्भू प्रसाद राय किराना दुकान के पीछे का एरिया, रानीताल चौक	हिनौतिया	व्यव. G+1	76 /3 में सें	65.496	62.338	उत्तर-संगीता नायक दक्षिण - हंसराज बुलानी पूर्व - सड़क पश्चिम -शेष भाग	
13	श्रीमति संगीता नायक पति श्री प्रदीप नायक बुक स्टोर रानीताल चौक	हिनौतिया	व्यव. GF	76 /3 में सें	अविभाजित हिस्सा संगीता नायक 12.08	12.08	उत्तर-घनश्याम दास दक्षिण -सुदामा बाई पूर्व - सड़क पश्चिम -सुदामा बाई	अर्जित क्षेत्रफल =22.828वर्ग मी. मे से अविभाजित हिस्सा 10.748 वर्ग मी.सुदामा बाई का भूमि

14	श्री घनश्यामदास नागरानी पिता चैतनदास नागरानी इलेक्टिक दुकान	हिनौतिया	व्यव. GF	76 में सें	अविभाजित हिस्सा घनश्याम दास नागरानी 6.50	6.50	उत्तर—मुन्नी जैन दक्षिण—संगीता नायक पूर्व— सड़क पश्चिम—सुदामा बाई	अर्जितक्षेत्रफल =14.246 वर्ग मी. मे से अविभाजित हिस्सा 7.746 वर्ग मी.सुदामा बाई का भूमि पर
15	श्रीमति सुदामा बाई पति श्री शम्भूप्रसाद राय (अविभाजित हिस्सा)	हिनौतिया	व्यव.	76 /3 में सें	अविभाजित हिस्सा	59.191	उत्तर— दक्षिण— पूर्व — पश्चिम —	अविभाजित हिस्सा (40.697 +10.748 +7. 746) वर्गमी.
16	श्रीमति मुन्नी जैन पति श्री सुकमलचंद जैन इलेक्टिक दुकान रानीताल चौक	हिनौतिया	व्यव. GF	76 /5 में सें	अविभाजित हिस्सा मुन्नी जैन 5.57	5.57	उत्तर— राजेश नायक दक्षिण—घनश्याम दास पूर्व— सड़क पश्चिम— सुदामा बाई	अर्जित क्षेत्रफल =11.581वर्ग मी. मे से अविभाजित हिस्सा 6.011 वर्ग मी सतीश राय का भूमि पर
17	श्री राजेश नायक पिता स्व. श्री निर्मल कुमार नायक इलेक्टिक दुकान मुन्नी जैन के पीछे रानीताल चौक	हिनौतिया	व्यव. GF	76 /3 में सें	अविभाजित हिस्सा राजेश नायक 9.66	9.66	उत्तर—मनीष कुमार दक्षिण—मुन्नी जैन पूर्व— सड़क पश्चिम—अमरजीत कौर	अर्जित क्षेत्रफल =20.211 वर्ग मी. मे से अविभाजित हिस्सा 10.551 वर्ग मी सतीश राय का भूमि पर
18	श्री मनीष कुमार जैन पिता श्री जे. के. जैन, श्रीमति शशि जैन पति श्री जे.के. जैन, हाडवेयर दुकान	हिनौतिया	व्यव. GF	76 में सें	अविभाजित हिस्सा मनीष कुमार जैन 3.71	3.71	उत्तर—अमरजीत कौर दक्षिण—राजेश नायक पूर्व— सड़क पश्चिम—अमरजीत कौर	कुल क्षेत्रफल =11.15 वर्ग मी. मे से अविभाजित हिस्सा 7.44 वर्ग मी. सतीश राय का भूमि पर
19	श्रीमति सुदामा बाई पति शम्भू प्रसाद राय रानीताल चौक	हिनौतिया	आवा सीय(गेट)	76 में सें	-	11.85	उत्तर—वनीता शाह दक्षिण— मनीष कुमार	

							पूर्व - सड़क पश्चिम-अमरजीत कौर	
20	श्रीमति अमरजीत कौर पति अर्जुन सिंह कलसी रानीताल चौक	हिनौतिया	आवा सीय(गेट)	76 में सें	-	11.85	उत्तर -वनीता शाह दक्षिण- मनीष कुमार पूर्व - सड़क पश्चिम-अमरजीत कौर	
21	श्रीमति वनीता शाह पति श्री रमणीक शाह हाडवेयर दुकान रानीताल चौक	हिनौतिया	व्यव. GF	76 में सें	अविभाजित हिस्सा 3.251	3.251	उत्तर-शुभजीत बक्शी दक्षिण-अमरजीत कौर पूर्व - सड़क पश्चिम-अमरजीत कौर	अर्जित क्षेत्रफल =18.894वर्ग मी. मे से अविभाजित हिस्सा 15.643 वर्ग मी. सतीश राय का भूमि पर
22	श्री सतीश राय पिता स्व. श्री शम्भुप्रसाद राय (अविभाजित हिस्सा)	हिनौतिया	व्यव.	76 में सें	अविभाजित हिस्सा	44.867	उत्तर- दक्षिण- पूर्व - पश्चिम -	अविभाजित हिस्सा (6.011+10.551 +7.44+15. 643+5.222)
23	श्री शुभजीत बक्शी पिता स्व. श्री एस. पी. बक्शी मेडीकल दुकान	हिनौतिया	व्यव. G+1	76 /5 में सें	अविभाजित हिस्सा 13.00	13.00	उत्तर-अमरजीत कौर दक्षिण -वनीता शाह पूर्व - सड़क पश्चिम-अमरजीत कौर	अर्जित क्षेत्रफल =18.222 वर्गमी. मे से अविभाजित हिस्सा 5.222 वर्ग मी. सतीश राय का भूमि पर
24	श्रीमति अमरजीत कौर पति श्री अर्जुन सिंह कलसी रानीताल चौक	हिनौतिया	आवा. (सीडी) G+1	76 /4 में सें	357.650	10.776	उत्तर-अमरजीत कौर दक्षिण-शुभजीत बक्शी पूर्व - सड़क पश्चिम - शेष भूमि	

25	श्रीमति अमरजीत कौर पति श्री अर्जुन सिंह कलसी रानीताल चौक	हिनौतिया	व्यव. G+1	76 /4 में सें	357.650	54.363	उत्तर-राजेश राय दक्षिण-अमरजीत कौर पूर्व - सड़क पश्चिम- शेष भाग
26	श्री राजेश राय पिता स्व. श्री शम्भुप्रसाद राय	हिनौतिया	व्यव. GF	76 में सें 61 /4	37.161	37.161	उत्तर -श्री पटैल दक्षिण-अमरजीत कौर पूर्व - सड़क पश्चिम -सतीश राय
27	श्री सतीश राय पिता स्व. श्री शम्भुप्रसाद राय	हिनौतिया	व्यव. G+1	76 में सें 61 /4	209.031	11.968	उत्तर -श्री पटैल दक्षिण-अमरजीत कौर पूर्व - राजेश राय पश्चिम -शेष भाग
28	मनोहर सिंह पटैल पिता गोकुल सिंह पटैल नारायण सिंह, हरिसिंह पिता मनोहर सिंह	हिनौतिया	व्यव. GF	76 /1 में सें प्ला. 61 /2 -3	263.380	31.755	उत्तर -शेष भाग दक्षिण - राजेश राय पूर्व - सड़क पश्चिम -शेष भाग
29	मनोहर सिंह पटैल पिता गोकुल सिंह पटैल नारायण सिंह, हरिसिंह पिता मनोहर सिंह	हिनौतिया	व्यव. GF	76 /1 में सें प्ला. 61 /2 -3	263.380	19.140	उत्तर -सतीश राय दक्षिण -शेष भाग पूर्व - सड़क पश्चिम -शेष भाग
					योग-	890.095	
भाग-3 नजूल ब्लाक							

30	श्री सतीश राय पिता स्व. श्री शम्भुप्रसाद राय सुदामा हार्डवेयर रानीताल चौक	हिनातिया नजूल ब्लाक-6 7	व्यव सायि क GF	ब्लॉक न.67 प्लाट न.4	232.780	79.80	उत्तर - सड़क दक्षिण -श्री पटैल पूर्व - सड़क पश्चिम -शेष भाग	
					योग-	79.80		
					कुल योग (भाग-1,2 एवं 3)-	2139.095	वर्गमीटर	

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फलाई ओवर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (2) चूँकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं उक्त दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फलाई ओवर निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है। भू-अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा 2 के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (हॉट बजार विजय नगर) तहसील-अधारताल, जिला-जबलपुर के कार्यालय में एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.-02 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 21 अक्टूबर 2021

क्रमांक-30-अ-82-19-20-भू-अर्जन-2021-10283

मौजा परसोरा पट.ह.नं.-19 तहसील बीना
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख अभियंता निर्माण-II उत्तर मध्य रेल झांसी को झांसी बीना तीसरी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारु आवागमन हो जावेगा तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम परसोरा में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : झांसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : बीना
 3. ग्राम : परसोरा
 4. पट.ह.नं.- : 19
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.536 हे.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	जसवंत सिंह पिता रतन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	26/264/2	0.160	0.001	कृषि भूमि
2	शिवकुमार नाबालिग पिता व पालक जसवंत सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	28/265	0.590	0.019	कृषि भूमि
3	शशि कुमार पिता पन्नालाल साकिन साकरोद तहसील कुरवाई जिला विदिशा	भूमिस्वामी	31	0.080	0.062	कृषि भूमि
4	नत्थू पिता निरन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	32/1	3.280	0.008	कृषि भूमि
5	प्रेमबाई पति रतनसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	32/2	0.400	0.017	कृषि भूमि
6	अशोक पिता रतिराम साकिन देह	भूमिस्वामी	32/3	0.400	0.210	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	32/4	0.400	0.076	कृषि भूमि
7	सुशील कुमार पिता रूपसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	40	0.050	0.001	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	41	0.390	0.142	कृषि भूमि
योग:-			09	5.750	0.536	कृषि भूमि

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को

उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर-उत्तर मध्य रेल झांसी बीना प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण-II उत्तर मध्य रेल झांसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-29-अ-82-19-20-भू-अर्जन-2021-10284

मौजा भानगढ़ पट.ह.नं.-19 तहसील बीना

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख अभियंता निर्माण-II उत्तर मध्य रेल झांसी को झांसी बीना तीसरी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारु आवागमन हो जावेगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम परसोरा में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | | |
|-----|-----------------|---|---|
| (1) | परियोजना का नाम | : | झांसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु |
| (2) | भूमि का विवरण | : | |
| | 1. जिला | : | सागर |
| | 2. तहसील | : | बीना |

3. ग्राम : भानगढ़
4. पट.ह.नं.- : 14
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.129 हे.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1.	2	3	4	5	6	7
1	सुरेशचंद पिता चंपालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	128/1	0.130	0.057	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	129/2	0.130	0.014	कृषि भूमि
2	प्रकाश संजीव पिता रतनचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	128/2	0.130	0.058	कृषि भूमि
	योग:-		03	0.390	0.129	कृषि भूमि

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी बीना प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण-॥ उत्तर मध्य रेल झांसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-50-अ-82-19-20-भू-अर्जन-2021-10285

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख अभियंता निर्माण-II उत्तर मध्य रेल झांसी को झांसी बीना तीसरी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारु आवागमन हो जावेगा तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम इटावा में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : झांसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : बीना
 3. ग्राम : इटावा
 4. पट.ह.नं.- : 51
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.411 हे.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	चन्द्रप्रकाश पिता श्रीराम तिवारी साकिन मनोरमा वार्ड बीना	भूमिस्वामी	68	2.982	0.085	कृषि भूमि
2	श्यामबिहारी वेदप्रकाश रामप्रकाश रामबाबू पिता नारायण दत्त रामदुलारी देवा नारायण दत्त जगदीश दत्त सोहनलाल महेश दत्त पिता भगतराज संतोष पिता ओमप्रकाश मदनमोहन बृजमोहन शशिमोहन राघामोहन पिता गणेश दत्त कलिन्दी शिरोमणी पिता गणेशदत्त मनोहरलाल जगमोहन पिता रामेश्वरदयाल शांतिबाई देवा रामेश्वर दयाल हरिप्रकाश पिता बाबूलाल पुरुषोत्तम पिता लक्ष्मीनारायण सरोज पुत्री लक्ष्मीनारायण सूर्यप्रकाश चन्द्रप्रकाश सुधा अन्नपूर्णा मनोरमा पिता श्रीराम तिवारी साकिन बीना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	124/1	18.105	0.314	कृषि भूमि
3	ऋषभदेव सत्यदेव पिता सूर्यप्रकाश सकुन्तला देवा सूर्यप्रकाश तिवारी साकिन मनोरमावार्ड बीना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	127/1	2.428	0.012	कृषि भूमि
योग:-			03:	23.515	0.411	कृषि भूमि

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी बीना प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण-III, उत्तर मध्य रेल झांसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

सागर, दिनांक 21 अक्टूबर 2021

क्रमांक-13-अ-82-21-22-भू-अर्जन-21-10288

मौजा करोंदा पट.ह.नं.-13 तहसील बीना

उप मुख्य अभियंता निर्माण-III उत्तर मध्य रेलवे झांसी के प्रस्ताव अनुसार झांसी बीना तीसरी रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु मौजा करोंदा पट.ह.नं.-13 तहसील बीना जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 623, 624/1, 624/2, 624/3, 626, 627, रकबा क्रमशः 0.030, 0.060, 0.100, 0.060, 0.710, 0.120 में से कुल रकबा 1.950 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्रारूप-ख
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	झांसी - बीना तीसरी लाईन
2	लोक प्रयोजन	आवागमन के सुगम आवागमन हेतु
3	स्थल	623, 624/1, 624/2, 624/3, 626, 627 रकबा कुल:- 0.030, 0.060, 0.100, 0.060, 0.710, 0.120 में से रकबा - 0.030, 0.043, 0.115, 0.007 कुल रकबा 0.195
4	परियोजना का क्षेत्र	0.195 हे०
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त तीसरी लाईन निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि नहीं है।
6	विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	उप मुख्य अभियंता निर्माण-II उत्तर मध्य रेल झांसी
7	परियोजना निर्माण के चरण	भूमि अधिग्रहीत की जाकर, समतलीय उत्तरा सोपनावहक तरीके से तीसरी लाईन विद्यार्नी है। जल निकासी का उचित प्रबंध किया
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	0.195 हे०
10	भूमि का मूल्य	वर्ष 2021-22 की गार्डन लाइन के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों/कुटुम्ब की संख्या	03
12	परिसंपत्तियाँ	पत्रक संलग्न है।
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या	निरंक
14	सामाजिक समाघात	निरंक
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया	निरंक
16	निष्कर्ष	प्रस्तावित लाईन के निर्माण से आवागमन की सुविधा होगी कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा. कु कुल रकबा 0.195 है।

परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक

विषय :- सागर जिले के बीना क्षेत्रान्तर्गत झांसी-बीना तीसरी रेलवे लाईन का निर्माण।
मौजा- करोंदा प.ह.नं.-13

क.	भू-स्वामियों का नाम	खसरा नंबर	परिसम्पत्तियों का नाम	रिमांक
1	2	3	4	5
1	सरदार राजाराम जगदीश कथला सुशीला पिता नन्हा वाल्मीकि	623 रकवा 0.030 624/2 रकवा 0.10	वृक्ष 2 बेरी 1 खजूर 2 चिरमिरी वृक्ष 2 पेड़ यूकेलिपटिस, 4 नीम, 2 चिरोल, 1 इमली, 1 मेहदी, एक कच्चा अर्द्ध पक्का मकान, पक्का शौचालय, शौचालय..6×9 वर्गफुट, मकान 25×10 वर्गफुट	
2	हेमलता पत्नि हरपाल सिंह यादव	624/1 रकवा 0.06	2 वृक्ष बबूल	
3	गुलाब बाई बेवा सूरत सींग यादव	624/3 रकवा 0.06	2 वृक्ष चिरमिरी 4 वृक्ष बबूल 1 वृक्ष इमली 1 वृक्ष बेरी	

प्रारूप-ग
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-

ग्राम - **करोँदा प.ह.नं.-13**

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	कृषि
2	लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ	प्रायः संतुलन है।
3	आस्तियाँ और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक परिवहन	निरंक
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	निरंक
5	पेयजल के स्रोत	निरंक
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	निरंक
7	सामुदायिक तालाब	निरंक
8	जन सुविधाएँ (जैसे-पोस्ट आफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएँ, स्कूल, आँगनबाड़ी, बाल उद्यान, कब्रिस्तान एवं शमशान)	निरंक
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि-वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा	जल निकास हेतु उचित व्यवस्था
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	अपेक्षक निकाय सहमत है।

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 8th November 2021

No. D-5477.—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-Section (2) of Section 8 A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (59 of 1994), Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, hereby nominates Hon'ble Shri Justice Rohit Arya, Judge of the High Court of Madhya Pradesh Bench at Gwalior, as Chairman of the High Court Legal Services Committee, Gwalior Bench, Gwalior, with immediate effect.

By order and in the name of Hon'ble the Chief Justice,
RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2021

क्र. A-3923-दो-3-87-2018.—श्री दीपक बंसल, रजिस्ट्रार (J-I), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्र. A-3940-दो-2-45-2019.—श्री बी. के. द्विवेदी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 6 से 10 अक्टूबर 2021 तक के आकस्मिक अवकाश/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लॉक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. A-3942-दो-2-69-2021.—श्री महफूज अहमद, डिप्टी रजिस्ट्रार(एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 7 से 9 सितम्बर 2021 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महफूज अहमद, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महफूज अहमद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2021

क्र. A-3970-दो-2-68-2018.—श्री अनिल पवार, रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 25 से 30 अक्टूबर 2021 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल पवार, रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल पवार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

क्र. A-4063-दो-2-60-2010.—श्री विमल प्रकाश शुक्ल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. D-5398-दो-2-61-2018.—श्री अचल कुमार पालीवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 22 नवम्बर से 02 दिसम्बर 2021 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 से 21 नवम्बर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अचल कुमार पालीवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अचल कुमार पालीवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5400-दो-2-52-2016.—श्री राजेश कुमार कोष्टा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 03 से 08 अक्टूबर 2021 तक, छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कोष्टा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार कोष्टा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5402-दो-2-48-2009.—श्री दिनेश कुमार पालीवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 27 सितम्बर से 05 अक्टूबर 2021 तक, नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 अक्टूबर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार पालीवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार पालीवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5404-चार-8-42/77 भाग-सोलह.—श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 30 सितम्बर से 04 अक्टूबर 2021 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल्य सराफ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5406-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 21 से 22 अक्टूबर 2021 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5408-दो-2-42-2020.—श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 20 से 23 अक्टूबर 2021 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. D-5421-दो-2-19-2020.—श्री एस. के. चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया गया है:—

1. दिनांक 24 से 25 सितम्बर 2021 तक का एवं दिनांक 27 सितम्बर 2021 का कुल तीन दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 24 सितम्बर से 12 अक्टूबर 2021 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 19 अक्टूबर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-6595-दो-2-102-2017.—श्री हृदेश प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 30 नवम्बर से 06 दिसम्बर 2021 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-6603-दो-2-71-2018.—श्री श्यामाचरण उपाध्याय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 22 सितम्बर से 01 अक्टूबर 2021 तक, दस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 एवं 03 अक्टूबर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्यामाचरण उपाध्याय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्यामाचरण उपाध्याय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-6605-दो-2-35-2017.—श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-

इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-6609-दो-2-23-2018.—श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-6613-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री लीलाधर बौरासी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018 समसंख्यक पत्र क्रमांक-4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री बौरासी, को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. अर्जित अवकाश | . . . 255 |
| अर्द्धवेतन अवकाश | . . . 45 |

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 255 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = _____ X 45

के एवज में नगद 30

भुगतान.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Jabalpur, the 8th October 2021

No.D-5110-I-7-3-2021 (Part-I).—It is hereby notified that the following are the Vacation/Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2022.

Summer Vacation:— From 16th May 2022 to 10th June, 2022

Winter Vacation:—From 22nd December 2022 to 31st December, 2022.

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	New Year's Holiday	01-01-2022	Saturday
2.	Republic Day	26-01-2022	Wednesday
3.	Mahashivratri	01-03-2022	Tuesday
4.	Holi (Holika Dahan)	17-03-2022	Thursday
5.	Holi (Dhuredi)	18-03-2022	Friday
6.	Gudi Padwa/Chaiti Chand	02-04-2022	Saturday
7.	Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi/ Mahaveer Jayanti	14-04-2022	Thursday
8.	Good Friday	15-04-2022	Friday
9.	Id-Ul-Fitar	03-5-2022	Tuesday
10.	Buddh Purnima	16-05-2022	Monday
11.	Moharrum	08-08-2022	Monday
	(09-08-2022)	09-08-2022	Tuesday
12.	Raksha Bandhan	12-08-2022	Friday
13.	Independence Day	15-08-2022	Monday
14.	Janmashtmi	19-08-2022	Friday
15.	Ganesh Chaturthi	31-08-2022	Wednesday
16.	Dussehra	01-10-2022	Saturday
	(05-10-2022) Mahaashtami	03-10-2022	Monday
	Mahanavmi	04-10-2022	Tuesday
		05-10-2022	Wednesday
		06-10-2022	Thursday
		07-10-2022	Friday
		10-10-2022	Monday

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Deepawali (24-10-2022)	19-10-2022 20-10-2022 21-10-2022 22-10-2022 24-10-2022 25-10-2022 26-10-2022	Wednesday Thursday Friday Saturday Monday Tuesday Wednesday
18.	Gurunanak Jayanti	08-11-2022	Tuesday
Total : 31 Days			

NOTES:—

1. Makar Sankranti dated 15th January 2022, Bhai Dooj dated 19th March 2022, Falls on Saturday and Ramnavmi dated 10 April 2022, Id-Ul-Zuha dated 10th July 2022, Sarv Pitra Moksha Amavasya dated 25th September 2022, Gandhi Jayanti dated 02nd October 2022, Id-milad un-Nabi dated 09 October 2022, Christmas Day dated 25th December 2022 falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays, falling on 8th & 15th January, 12th & 19th February, 12th & 19th March, 9th & 16th April, 14th & 21st May, 11th & 18th June, 9th & 16th & July, 13th & 20th August, 10th & 17th 18th September, 8th & 15th October, 12th & 19th November, 10th & 17th December will be closed Saturdays of High Court.
3. Saturdays Falling on 26th February, 23rd April and 07th May, 2022 shall be Court Working days. Rest of Saturdays will be non-working Saturdays of High Court.
4. Summer Vacation of High Court shall be from 16th May 2022 to 10th June, 2022 and Winter Vacation from 22nd December 2022 to 31st December, 2022.
5. The holidays in respect of Id-ul-Fitar, Id-ul-Zuha, Moharrum and Id-milad un-Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon.

By order of the High Court,
RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.

CALENDAR OF HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR
FOR THE YEAR 2022

Days	JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL
SUN.	30	6	6	3
MON.	31	7	7	4
TUE.		8	8	5
WED.		9	9	6
THU.		10	10	7
FRI.		11	11	8
SAT.	1	12	12	9
	2	13	13	10
	3	14	14	11
	4	15	15	12
	5	16	16	13
	6	17	17	14
	7	18	18	15
	8	19	19	16
	9	20	20	17
	10	21	21	18
	11	22	22	19
	12	23	23	20
	13	24	24	21
	14	25	25	22
	15	26	26	23
	16	27	27	24
	17	28	28	25
	18	29	29	26
	19	30	31	27
	20			28
	21			29
	22			30
	23			31
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
	31			
Days	MAY	JUNE	JULY	AUGUST
SUN.	1	5	3	7
MON.	2	6	4	8
TUE.	3	7	5	9
WED.	4	8	6	10
THU.	5	9	7	11
FRI.	6	10	8	12
SAT.	7	11	9	13
	8	12	10	14
	9	13	11	15
	10	14	12	16
	11	15	13	17
	12	16	14	18
	13	17	15	19
	14	18	16	20
	15	19	17	21
	16	20	18	22
	17	21	19	23
	18	22	20	24
	19	23	21	25
	20	24	22	26
	21	25	23	27
	22	26	24	28
	23	27	25	29
	24	28	26	30
	25	29	27	31
	26	30	28	
	27	31	29	
	28		30	
	29		31	
	30			
	31			
Days	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
SUN.	4	2	6	4
MON.	5	3	7	5
TUE.	6	4	8	6
WED.	7	5	9	7
THU.	8	6	10	8
FRI.	9	7	11	9
SAT.	10	8	12	10
	11	9	13	11
	12	10	14	12
	13	11	15	13
	14	12	16	14
	15	13	17	15
	16	14	18	16
	17	15	19	17
	18	16	20	18
	19	17	21	19
	20	18	22	20
	21	19	23	21
	22	20	24	22
	23	21	25	23
	24	22	26	24
	25	23	27	25
	26	24	28	26
	27	25	29	27
	28	26	30	28
	29	27	31	29
	30	28		30
	31	29		31

○ Sundays & Holidays
 △ Closed Saturday for Registry
 □ Vacation
 ▭ Court working Saturdays